

Sri U.K. Venma

१८०९/२०१९

R.C  
२१/९/१९

पत्रांक :- ३ / यो ०१-१६/२०१९ (उ०शि०) /

झारखण्ड सरकार

उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग  
(उच्च शिक्षा प्रभाग)

प्रेषक,

निदेशक, उच्च शिक्षा ।

सेवा में,

अबर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी(उच्च शिक्षा),  
उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग,  
झारखण्ड, रॉची।

रॉची, दिनांक ..... /

विषय:-

महाशय,

रॉची विश्वविद्यालय, रॉची अंतर्गत Renovation of Centre for Regional and Tribal Languages के लिए ₹० 1,००,००,०००/- (एक करोड़) रूपये मात्र के भुगतान हेतु आवंटन प्रदान करने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि स्वीकृत्यादेश संख्या ३०७/बजट दिनांक ०६.०९.२०१९ के आलोक में रॉची विश्वविद्यालय, रॉची अंतर्गत Renovation of Centre for Regional and Tribal Languages के लिए ₹० 1,००,००,०००/- (एक करोड़) रूपये मात्र के भुगतान हेतु आवंटन प्रदान की जाती है।

२. उपर्युक्त राशि का विकलन वित्तीय वर्ष २०१९-२० की निम्नांकित शीर्ष :-

"मुख्यशीर्ष-२२०२ सामान्य शिक्षा, ०३- विश्वविद्यालय और उच्चतर शिक्षा, लघु शीर्ष-७९६- जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, उप शीर्ष-B५- विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के आधारभूत संरचना का विकास हेतु सहायता अनुदान, विस्तृत शीर्ष-०६ अनुदान, ७८-पूँजी परिसम्पत्ति के सृजन हेतु अनुदान (विप्र कोड-21S220203796B50678) (स्कीम कोड-1628) के अंतर्गत होगा।

३. स्वीकृत राशि की निकासी के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अबर सचिव, उच्च शिक्षा, उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग, झारखण्ड, रॉची होंगे, जो सचिवालय कोषागार, डोरेण्डा, रॉची से राशि की निकासी कर Book Transfer, बैंक ड्राफ्ट अथवा योजना-सह-वित्त विभाग द्वारा निर्गत किये गये प्रासंगिक आदेश में विहित माध्यम द्वारा रॉची विश्वविद्यालय, रॉची के कुलसचिव को राशि उपलब्ध करायेंगे एवं कुलसचिव उक्त बैंक ड्राफ्ट को चालान के माध्यम से विश्वविद्यालय के लिए संचालित पी० एल० खाता संख्या-८४४८ में जमा करायेंगे।

४. रॉची विश्वविद्यालय, रॉची के कुलसचिव द्वारा योजना-सह-वित्त विभाग के सुसंगत आदेश एवं परिपत्रों तथा झारखण्ड कोषागार संहिता-२०१६ के नियम- ३३९-३४४ के तहत रॉची कोषागार में संचालित पी० एल० खाता संख्या-८४४८ से एक सप्ताह के अंदर झारखण्ड राज्य भवन निर्माण नियम लिमिटेड के पी० एल० खाता में राशि अंतरित की जाएगी।

५. व्यय उपरान्त स्वीकृत राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र महालेखाकार झारखण्ड एवं विभाग को समय उपलब्ध कराया जाय।

६. महालेखाकार का कार्यालय, अंकेक्षण / वित्त (अंकेक्षण) विभाग को विमुक्त एवं निकासी की गई राशि के अंकेक्षण का अधिकार होगा।

७. स्वीकृत्यादेश संख्या ३०७/बजट दिनांक ०६.०९.२०१९ की अन्य शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

विश्वासभाजन,

ह०/-  
(सुशांत गौरव)  
निदेशक, उच्च शिक्षा।

१८०९/२०१९

१८१

८०

ज्ञापांक-3 / यो01-16 / 2019 (उ०शि०) ..... / रॉची, दिनांक- ..... / 2019

प्रतिलिपि – महालेखाकार, रॉची / कोषागार पदाधिकारी, संविवालय कोषागार, डोरण्डा,  
रॉची / कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, रॉची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/-

(सुशांत गौरव)

ज्ञापांक-3 / यो01-16 / 2019 (उ०शि०) ३१०१८८८ / सॉची, दिनांक- १२।०९।२०१९

प्रतिलिपि – विभागीय सचिव के प्रधान आप्स सचिव/प्रबंध निदेशक, झारखण्ड राज्य भवन  
निर्माण निगम लिमिटेड, रॉची/निदेशक, उच्च शिक्षा के प्रधान आप्स सचिव, कल्पसचिव, रॉची  
विश्वविद्यालय, रॉची/अवर सचिव—सह—निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी(उच्च शिक्षा) / लेखा शाखा, उच्च  
शिक्षा, उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

१२.०९.१९

(सुशांत गौरव)

निदेशक, उच्च शिक्षा।

## आवंटन आदेश

### झारखण्ड सरकार

Higher, Technical Education and Skill Development Department (Higher Educ

ग्राम पंचायत वर्ष

2019-20 में व्यय हेतु निम्नानिकत दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है।


पत्र संख्या -

3/YO.1-16/2019/310/BUDGET

दिनांक -

12-Sep-2

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 21 220203796B50678 2202 - सामान्य शिक्षा 03 - विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 85 - विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के आधारभूत संरचना का विकास हेतु सहायता अनुदान 06 - अनुदान 78 - मूँजी परिसम्पत्ति के सुजन हेतु अनुदान	57739	DRNEDN046  SRI BHAIYA RAJNISH RANJAN UNDER SECT.HIGHER EDU.DIR.JHA.	10,00,000.00  रुपये एक करोड
	<b>State Scheme</b>			
	State Scheme : Central Scheme :	GRANT IN AID TO UNIVERSITIES AND EXISTING COLLEGE FOR INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT(1628)		



योग:

10,00,000.00

अंकित योग:

रुपये एक करोड

Jishank Banerjee

*Smt. Nirmala Devi  
9/9/19*

दिनांक - ३०/०९/२०१९ (विशेष) ३५३ | लेखा  
 अधिकारी कामकाज  
 वर्ष २०१९ के लिए इसका विवरण दिया गया।  
 अन्तिम रूप से प्रभाग  
 परमाणुका

प्रश्न-

हिन्दू भाषाओं का प्रयोग क्या है?  
 उत्तर हमें यहीं लिखा है कि भाषाओं के बीच संवाद विकास किया जाना चाहिए।

सत्ता में

दृष्टिकोण का नियम  
 प्रयोग का विवर  
 उत्तर हमें यहीं लिखा है कि भाषाओं के बीच संवाद विकास किया जाना चाहिए।

विषय:-

राजीव विश्वविद्यालय, राजीव अंतर्राष्ट्रीय Renovation of Centre for Regional and Tribal Languages के लिए ₹ २,३५,७१,०००/- (दो करोड़ पैसीस लाख एकलात्तर हजार) रुपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

आवेदन - आवेदन का इस भौतिक विवर यहीं लिखा गया है कि इसके अंतर्गत राज्यीय भाषाओं के सम्बन्धीय विवरण और उनकी प्रयोग की जांच की जाएगी।

प्रतिवेदन - इस भौतिक विवर के लिए यहीं लिखा गया है कि इसके अंतर्गत राज्यीय एवं जनजातीय भाषाओं के सम्बन्धीय विवरण जारी करना चाहिए।

१. विश्वविद्यालय के राज्यीय भाषाओं के सम्बन्धीय विवरण के लिए यहीं लिखा गया है कि इसके अंतर्गत राज्यीय भाषाओं का विवरण जारी करना चाहिए।

२. विश्वविद्यालय के राज्यीय भाषाओं के सम्बन्धीय विवरण के लिए यहीं लिखा गया है कि इसके अंतर्गत राज्यीय भाषाओं का विवरण जारी करना चाहिए।

३. विश्वविद्यालय के राज्यीय भाषाओं के सम्बन्धीय विवरण के लिए यहीं लिखा गया है कि इसके अंतर्गत राज्यीय भाषाओं का विवरण जारी करना चाहिए।

४. आरखण्ड राज्य भवन निर्माण नियम लिमिटेड, राजीव के प्रत्याक्ष 1705 (निं.) दिनांक 20.06.2019 द्वारा राजीव विश्वविद्यालय, राजीव अंतर्राष्ट्रीय Renovation of Centre for Regional and Tribal Languages के लिए तात्पुर कोटीशीलार० पर Estimate No. 206/T.A.RU/JSBCCL/2019-20 दिनांक 20.06.2019 द्वारा ₹ २,३५,७१,०००/- का तकनीकी अनुमोदन प्रदान कर दी। पी० आर० समर्पित नियम यहीं दी० पी० आर० पर Presentation के लिए मे सुझाव दिया गया कि लिपट के प्रावधान को सामान्य प्रस्तुति में इस विवरण का अनुसार आलोक य उपरोक्त विवरण की अनुमति प्राप्ति सापेक्ष ₹ ०० पी० आर० करोड़ पैसीस लाख एकलात्तर हजार) अल्प मात्र अंकित की गयी है।

५. उत्तरी अनुदान के अनुदान संसोधित प्रावधान के आलोक में Renovation of Centre for Regional and Tribal Languages के लिए ₹ २,३५,७१,०००/- (दो करोड़ पैसीस लाख एकलात्तर हजार) रुपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

६. नियम लिमिटेड का अनुदान लिपट के अन्तर्गत उपर्याप्त-B5-लमुशीर्ष-107 विश्वविद्यालय का अनुदान भवन का विवर है राज्यीय अनुदान, लमुशीर्ष-756 जनजातीय वीक्षण उपरोक्त विवरण की अनुमति प्राप्ति सापेक्ष ₹ ०० पी० आर० 125.00 करोड़ का विवरण प्रदान किया गया है।

७. काठिका-५ में अंकित इश्ति या विकलन वित्तीय वर्ष 2019-20 के राज्य स्थीर के निम्नान्वय नियम-मुद्राशीर्ष-2202 यामात्य शिक्षा-०३- विश्वविद्यालय और उच्चतर शिक्षा, लघु शीर्ष-७९६- जनजातीय वीक्षण उपरोक्त विवरण के अधारमूल सरदाना या विकल्प है अनुदान अनुदान, विक्षेप शीर्ष-०६ अनुदान, ७३-पूर्जी परिराष्ट्रि के अनुदान विषय-प्राप्ति-१५१२२२००७६०१५०६८३ (स्थीर कांड-1628) के अंतर्गत होगा।

८. विवरण के प्रत्यक्ष-३५२०, दिनांक-०१.१२.०७ से प्रस्तुति विवरण के अंतर्गत विवरण को अनियुक्त विवरण विवरण-३०१ दिनांक-११.०३.२०१५ के आलोक से यह सम्बन्धीय विवरण को प्रदान शक्ति के अंतर्गत होगा।

9. इस मद के विवरण वित्तीय वर्ष के पहले वर्ष में निकासी की गयी राशि की विवरणी—  
स्वीकृत्यादेश राज्यका दूर नियम निकासी को गई राशि प्राप्त उपर्योगिता प्रमाण पत्र की राशि  
रुपय सूचना

10. वित्त भेजाये के संकल्प द्वारा पक्ष 759 दिनोंक 20.03.2015 के अनुसार राशि की  
निकासी है इस द्वारा पत्र की आवश्यकता नहीं है।

11. स्वीकृत राशि की निकासी के लिए निकासी एवं व्यायन पदाधिकारी, अबर सचिव,  
उच्च नक्कासी शिक्षा एवं कौशल विभाग योजना आरखण्ड रॉची होंगे, जो सचिवालय कोषागार,  
डोरण्डा, रांची रा. राज्य की निकासी कर Book Transfer, बैंक फ़ाफ्ट अथवा योजना-सह-वित्त विभाग  
द्वारा निर्गत किये गये प्रालंगिक आदेश में विहित मार्यम द्वारा रॉची के कुलसचिव  
को राशि उत्तराखण्ड करायें एवं कुलसचिव उक्त बैंक फ़ाफ्ट को चलन के मार्यम से विश्वविद्यालय के  
लिए संचालित पी० पूल० खाता संख्या—8448 में जमा करायें।

12. रॉची विश्वविद्यालय, रॉची के कुलसचिव द्वारा योजना-सह-वित्त विभाग के  
सुरक्षात् आदेश एवं प्रशिक्षण विद्या डारखण्ड कोषागार सहिता—2016 के नियम—३३९-३४४ के तहत पी०  
पूल० खाता राज्यका—८४४८ से एक आत्माह के अंदर आरखण्ड राज्य भवन निर्माण शिक्षा लिमिटेड, रॉची के  
पी० पूल० खाता में राँझ अतारत कर दी जायेगी।

13. व्यव उपरान्त स्वीकृत राशि का उपर्योगिता प्रमाण पत्र महालेखाकार आरखण्ड एवं  
विभाग के संकल्प दृपदलय कराया जाय।

14. महालेखाकार का कार्यालय अंतर्काण/वित्त (अकेषण) विभाग को विमुक्त एवं  
निकासी की राई राशि के अनुकूल जा आप्तिकार छोग।

15. आरखण्ड कोषागार भित्ति के नियम 174 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

16. प्राप्त एवं आत्मिक वित्तीय सताहकार की सहमति प्राप्त है।

17. स्वीकृत विकासी निकासी है तथा विपत्र श्री एस० के गुप्ता, संयुक्त सचिव,  
उच्च तकनीकी विद्या एवं कौशल विकास विभाग द्वारा प्रतिक्रियाकार किया जायेगा।

विश्वासभाजन,

*S.H.*

6/9/19  
(शैलेश कुमार सिंह)

सरकार के प्रधान सचिव।

०६/०९/2019

ज्ञापाक ३/यो।-१०/२०१९ (उठाई०)

३०३/६४४८

रॉची, दिनांक—०६/०९/२०१९  
प्रतिलिपि—कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, रॉची/कोषागार  
पदाधिकारी, निकासी कोषागार, रॉची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

*S.H.*

6/9/19  
(शैलेश कुमार सिंह)

सरकार के प्रधान सचिव।

०६/०९/2019

ज्ञापाक—३/यो।-१०/२०१९ (उठाई०)

३०३/६४४८

रॉची, दिनांक—०६/०९/२०१९  
प्रतिलिपि—प्रधानीग निकासी के प्रधान आपा सचिव/प्रवंभ निदेशक, आरखण्ड राज्य  
भवन निर्गाण नियम शिक्षिटड, रॉची/निदेशक, उच्च शिक्षा के प्रधान आपा सचिव/कुलसचिव, रॉची  
विश्वविद्यालय, नैदी/अंदर सचिव-सह-निकासी एवं व्यायन पदाधिकारी(उच्च शिक्षा)/लेखा शास्त्रा,  
उच्च शिक्षा, उच्च तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

*S.H.*

6/9/19  
(शैलेश कुमार सिंह)

सरकार के प्रधान सचिव।

Sri U.K.Verma  
13/03/2020

पत्रांक :-3 / यो.1-19/2017 (उ0श10) 422 / Sri U.K.Verma

झारखण्ड सरकार

उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग  
(उच्च शिक्षा प्रभाग)

प्रेषक,

सेवा में

✓ FO/CCDC

निदेशक, उच्च शिक्षा ।

अवर सचिव—सह—निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी(उच्च शिक्षा),  
उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग,  
झारखण्ड, रॉची।

रॉची, दिनांक 02.03.2020

विषय:-

✓ 5/3/20

महाशय,

रॉची विश्वविद्यालय, रॉची अंतर्गत पी० पी० के० कॉलेज, बुण्डू के  
आधारभूत संरचना का विकास हेतु ₹ 9,91,85,000/- (नौ करोड़  
एकानवे लाख पचासी हजार) रूपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के  
विरुद्ध द्वितीय किस्त के रूप में ₹ 7,00,00,000/- (सात करोड़ रूपये)  
मात्र के भुगतान हेतु आवंटन प्रदान करने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि स्वीकृत्यादेश संख्या 421/बजट दिनांक 25.02.2020 एवं ऑनलाईन आवंटनादेश (छाया प्रति संलग्न) के आलोक में रॉची विश्वविद्यालय, रॉची अंतर्गत पी० पी० के० कॉलेज, बुण्डू के आधारभूत संरचना का विकास हेतु ₹ 9,91,85,000/- (नौ करोड़ एकानवे लाख पचासी हजार) रूपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के विरुद्ध द्वितीय किस्त के रूप में ₹ 7,00,00,000/- (सात करोड़ रूपये) मात्र के भुगतान हेतु आवंटन प्रदान की जाती है।

2. उपर्युक्त राशि का विकलन वित्तीय वर्ष 2019-20 की निम्नांकित शीर्ष :-

" मुख्यशीर्ष-2202 सामान्य शिक्षा, 03— विश्वविद्यालय और उच्चतर शिक्षा, लघु शीर्ष-796—  
जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, उप शीर्ष-B5— विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के आधारभूत संरचना  
का विकास हेतु सहायता अनुदान , विस्तृत शीर्ष-06 अनुदान,78—पूँजी परिसम्पत्ति के सृजन हेतु  
अनुदान (विपत्र कोड-21S220203796B50678) (स्कीम कोड-1628) के अंतर्गत होगा।

3. स्वीकृत राशि की निकासी के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव, उच्च शिक्षा, उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग, झारखण्ड, रॉची होंगे, जो सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, रॉची से राशि की निकासी कर Book Transfer, बैंक ड्राफ्ट अथवा योजना—सह—वित्त विभाग द्वारा निर्गत किये गये प्रासंगिक आदेश में विहित माध्यम द्वारा रॉची विश्वविद्यालय, रॉची के कुलसचिव को राशि उपलब्ध करायेंगे एवं कुलसचिव उक्त बैंक ड्राफ्ट को चालान के माध्यम से विश्वविद्यालय के लिए संचालित पी० एल० खाता संख्या—8448 में जमा करायेंगे।

4. रॉची विश्वविद्यालय, रॉची के कुलसचिव द्वारा योजना—सह—वित्त विभाग के सुसंगत आदेश एवं परिपत्रों तथा झारखण्ड कोषागार संहिता—2016 के नियम— 339—344 के तहत रॉची कोषागार में संचालित पी० एल० खाता संख्या—8448 से एक सप्ताह के अंदर झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, रॉची के पी० एल० खाता संख्या —8448 में राशि अंतरित कर दी जायेगी।

5. व्यय उपरान्त स्वीकृत राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र महालेखाकार झारखण्ड एवं विभाग को ससमय उपलब्ध कराया जाय।

6. महालेखाकार का कार्यालय, अंकेक्षण /वित्त (अंकेक्षण) विभाग को विमुक्त एवं निकासी की गई राशि के अंकेक्षण का अधिकार होगा।

227

7. स्वीकृत्यादेश संख्या 421/बजट दिनांक 25.02.2020 की अन्य शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

8. स्वीकृत राशि की निकासी हेतु तैयार विपत्र श्री दिगेश्वर तिवारी, अपर सचिव, उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग द्वारा प्रतिहस्ताक्षर किया जायेगा।

विश्वासभाजन,  
ह0/-

(सुशांत गौरव)  
निदेशक, उच्च शिक्षा।

ज्ञापाक-3/यो.1-19/2017 (उ0शि0) ..... /रॉची, दिनांक-..... /2020  
प्रतिलिपि –कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, रॉची/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, रॉची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/-  
(सुशांत गौरव)  
निदेशक, उच्च शिक्षा।

ज्ञापाक-3/यो.1-19/2017 (उ0शि0) ५२२।७८८/रॉची, दिनांक-०२।०३।२०२०  
प्रतिलिपि –विभागीय प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/प्रबंध निदेशक, झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, रॉची/ निदेशक, उच्च शिक्षा के प्रधान आप्त सचिव/कुलसचिव, रॉची विश्वविद्यालय, रॉची/लेखा शाखा, उच्च शिक्षा, उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित एवं श्री प्रियरंजन, सहायक निदेशक, तकनीकी शिक्षा–सह–नोडल पदाधिकारी को विभागीय पोर्टल पर अपलोड करने हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

02.03.20  
(सुशांत गौरव)  
निदेशक, उच्च शिक्षा।



## આવન્દન આદેશ

### ડારખંડ સરકાર

Higher, Technical Education and Skill Development Department (Higher Edu)

ચાલુ વિસીય વર્ષ 2019-20 મેં વ્યય હેતુ નિર્માંકિત દર્શાએ ગણ બજટ શીર્ષ કે સામને અંકિત રાશિ આવન્દન કી જાતી હૈ

પત્ર સંખ્યા - 3/YO.1-19/2017/422/BUDGET


દિનાંક -

02-Mar-2020

ક્રમાંક	વિપત્ર કોડ	એક્સેસ નં	નિકાસી એવં વ્યયન પદા.	આવન્દન રાશિ
1	S 21 220203796B50678 2202 - સામાન્ય શિક્ષા 03 - વિશ્વવિદ્યાલય તથા ઉચ્ચતર શિક્ષા 796 - જનજાતીય ક્ષેત્ર ઉપયોગના B5 - વિશ્વવિદ્યાલયોં એવં મહાવિદ્યાલયોં કે આધ્યારભૂત સંરचના કા વિકાસ હેતુ સહાયતા અનુદાન 06 - અનુદાન 78 - મૌજી પરિસમ્પત્તિ કે સૃજન હેતુ અનુદાન	89081	DRNEDN046 SRI DHARMRAJ MAHTO UNDER SECT.HIGHER EDU.DIR.JHA.	70,000,000.00 રૂપયે સાત કરોડ

#### State Scheme

State Scheme : GRANT IN AID TO UNIVERSITIES AND EXISTING COLLEGE FOR INFRASTRUCTURE  
Central Scheme : DEVELOPMENT(1628)



યોગ:

70,000,000.00

ક્રમિક યોગ:

રૂપયે સાત કરોડ

*Sushant Gaurav*  
(SUSHANT GAURAV)

DIRECTOR, HIGHER EDUCATION

Con: U/16/Ven  
Date: 14/03/2020

प्रेषक,

निदेशक, उच्च शिक्षा।

सेवा में,

अवर सचिव—सह—निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी(उच्च शिक्षा),  
उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग,  
झारखण्ड, रॉची।

13.03.2020  
रॉची, दिनांक

विषय:-

रॉची विश्वविद्यालय, रॉची अंतर्गत रॉची महिला महाविद्यालय के आधारभूत संरचना का विकास मद में Auditorium at Arts Block के निर्माण हेतु रॉची अंतर्गत रॉची महिला महाविद्यालय के आधारभूत संरचना का विकास मद में Auditorium at Arts Block के निर्माण हेतु ₹ 6,24,90,000/- (छ: करोड़ चौबीस लाख नब्बे हजार) रूपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के विरुद्ध ₹ 6,05,400/- (छ: लाख पाँच हजार चार सौ रूपये) मात्र के भुगतान हेतु आवंटन प्रदान करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि स्वीकृत्यादेश संख्या 425/बजट दिनांक 06.03.2020 एवं ऑनलाईन आवंटनादेश (छाया प्रति संलग्न) के आलोक में रॉची विश्वविद्यालय, रॉची अंतर्गत रॉची महिला महाविद्यालय के आधारभूत संरचना का विकास मद में Auditorium at Arts Block के निर्माण हेतु ₹ 6,24,90,000/- (छ: करोड़ चौबीस लाख नब्बे हजार) रूपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के विरुद्ध ₹ 6,05,400/- (छ: लाख पाँच हजार चार सौ रूपये) मात्र के भुगतान हेतु आवंटन प्रदान की जाती है।

2. उपर्युक्त राशि का विकलन वित्तीय वर्ष 2019-20 की निम्नांकित शीर्ष :-

" मुख्यशीर्ष-2202 सामान्य शिक्षा, 03— विश्वविद्यालय और उच्चतर शिक्षा, लघु शीर्ष-796— जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, उप शीर्ष-B5— विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के आधारभूत संरचना का विकास हेतु सहायता अनुदान, विस्तृत शीर्ष-06 अनुदान,78—पूँजी परिसम्पत्ति के सृजन हेतु अनुदान (विपत्र कोड-21S220203796B50678) (स्कीम कोड-1628) के अंतर्गत होगा।

3. स्वीकृत राशि की निकासी के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव, उच्च शिक्षा, उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग, झारखण्ड, रॉची होंगे, जो सचिव, उच्च शिक्षा, उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग, झारखण्ड, रॉची होंगे, जो Book Transfer, बैंक ट्राप्ट सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, रॉची से राशि की निकासी कर Book Transfer, बैंक ट्राप्ट सचिवालय कोषागार—सह—वित्त विभाग द्वारा निर्गत किये गये प्रासंगिक आदेश में विहित माध्यम द्वारा अथवा योजना—सह—वित्त विभाग द्वारा निर्गत किये गये प्रासंगिक आदेश में विहित माध्यम द्वारा रॉची विश्वविद्यालय, रॉची के कुलसचिव को राशि उपलब्ध करायेंगे एवं कुलसचिव उक्त बैंक ट्राप्ट को चालान के माध्यम से विश्वविद्यालय के लिए संचालित पी० एल० खाता संख्या—8448 में जमा करायेंगे।

4. रॉची विश्वविद्यालय, रॉची के कुलसचिव द्वारा योजना—सह—वित्त विभाग के सुसंगत आदेश एवं परिपत्रों तथा झारखण्ड कोषागार संहिता—2016 के नियम—339—344 के तहत रॉची कोषागार में संचालित पी० एल० खाता संख्या—8448 से एक सप्ताह के अंदर झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, रॉची के पी० एल० खाता संख्या—8448 में राशि अंतरित कर दी जायेगी।

5. व्यय उपरान्त स्वीकृत राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र महालेखाकार झारखण्ड एवं विभाग को संसमय उपलब्ध कराया जाय।

6. महालेखाकार का कार्यालय, अंकेक्षण/वित्त (अंकेक्षण) विभाग को विमुक्त एवं निम्नांकि नई राशि के अंकेक्षण का अधिकार होगा।

7. स्वीकृत्यादेश संख्या 425/बजट दिनांक 06.03.2020 की अन्य शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

8. स्वीकृत राशि की निकासी हेतु तैयार विपत्र श्री दिगेश्वर तिवारी, अपर सचिव, उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग द्वारा प्रतिहस्ताक्षर किया जायेगा।

विश्वासभाजन,

₹0/-

(सुशांत गौरव)

निदेशक, उच्च शिक्षा।

ज्ञापाक-3/यो.1-01/2016 (उ०शि०) ..... /रॉची, दिनांक- ..... /2020

प्रतिलिपि -कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, रॉची/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, रॉची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

₹0/-

(सुशांत गौरव)

निदेशक, उच्च शिक्षा।

ज्ञापाक-3/यो.1-01/2016 (उ०शि०) ५२७।७५८/रॉची, दिनांक- १३।०३। २०२०

प्रतिलिपि -विभागीय प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/प्रबंध निदेशक, झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, रॉची/ निदेशक, उच्च शिक्षा के प्रधान आप्त सचिव/ कुलसचिव, रॉची विश्वविद्यालय, रॉची /लेखा शाखा, उच्च शिक्षा, उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित एवं श्री प्रियरंजन, सहायक निदेशक, तकनीकी शिक्षा-सह-नोडल पदाधिकारी को विभागीय पोर्टल पर अपलोड करने हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

13.03.20  
१३.०३.२०

(सुशांत गौरव)

निदेशक, उच्च शिक्षा।



प्रारम्भिक वरकार

## आवंटन आदेश

### झारखण्ड सरकार

Higher, Technical Education and Skill Development Department (Higher Edu

चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में व्यय हेतु लिन्मानित दराएं गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है।


पत्र संख्या - 3/YO.1-01/2016/427/BUDGET

दिनांक -

13-Mar-2020

क्रमांक	विषय कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 21 220203796B50678 2202 - सामान्य शिक्षा 03 - विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 85 - विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के आधारभूत संरचना का विकास हेतु सहायता अनुदान 06 - अनुदान 78 - पैंजी परिसम्पत्ति के सृजन हेतु अनुदान <b>State Scheme</b>	94694	DRNEDN046 SRI DHARMRAJ MAHTO UNDER SECT.HIGHER EDU.DIR.JHA.	605,400.00 रुपये छ: लाख पौँच हजार चार सौ

State Scheme : GRANT IN AID TO UNIVERSITIES AND EXISTING COLLEGE FOR INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT(1628)  
Central Scheme : NA



योग:

क्रमिक योग:

रुपये छ: लाख पौँच हजार चार सौ

605,400.00

*Sushant Gaurav*  
(SUSHANT GAURAV)

~~Shri P. K. Verma~~  
~~15/05/18~~  
पत्रांक-3 / यो. 1-13 / 2016 (उ०शि०) 185, गृही

झारखण्ड सरकार  
उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग  
(उच्च शिक्षा प्रभाग)

प्रेषक,

सेवा में,

दिनेश प्रसाद,  
निदेशक, उच्च शिक्षा  
उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग,  
झारखण्ड, रॉची।

अवर सचिव—सह—निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,  
उच्च शिक्षा निदेशालय,  
उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग,  
झारखण्ड, रॉची।

रॉची, दिनांक : 09.05.2019

F.O/c.c.D.C.  
15/05/18

विषय:-

वित्तीय वर्ष 2019–20 में रॉची विश्वविद्यालय, रॉची अंतर्गत मारवाड़ी कॉलेज, रॉची के Boys Section में पुस्तकालय भवन के उपर नये भवन के निर्माण हेतु राशि रु० 3,18,98,800/- (तीन करोड़ अठारह लाख अनठानवे हजार आठ सौ) रूपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के विरुद्ध द्वितीय किस्त के रूप में रु० 2,00,00,000/- (दो करोड़ रूपये मात्र के भुगतान हेतु आवंटन प्रदान करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि स्वीकृत्यादेश संख्या 162/बजट दिनांक 02.05.2019 एवं ऑनलाईन आवंटनादेश (छाया प्रति संलग्न) के आलोक में वित्तीय वर्ष 2019–20 में रॉची विश्वविद्यालय, रॉची अंतर्गत मारवाड़ी कॉलेज, रॉची के Boys Section में पुस्तकालय भवन के उपर नये भवन के निर्माण हेतु राशि रु० 3,18,98,800/- (तीन करोड़ अठारह लाख अनठानवे हजार आठ सौ) रूपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के विरुद्ध द्वितीय किस्त के रूप में रु० 2,00,00,000/- (दो करोड़ रूपये मात्र के भुगतान हेतु आवंटन प्रदान की जाती है।

2. उपर्युक्त राशि का विकलन वित्तीय वर्ष 2019–20 की राज्य स्कीम बजट के निम्नांकित शीर्ष के अन्तर्गत होगा:-

“मुख्य शीर्ष—2202—सामान्य शिक्षा, 03—विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा, 796—जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, B5—विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के आधारभूत संरचना का विकास हेतु सहायता अनुदान, 06—अनुदान, 78—पूँजी परिसम्पत्ति के सृजन हेतु अनुदान” के अन्तर्गत होगा।  
(विपत्र कोड—21S220203796B50678) (स्कीम कोड—1628)

3. स्वीकृत राशि की निकासी के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव, उच्च शिक्षा, उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग, झारखण्ड, रॉची होंगे, जो सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, रॉची से राशि की निकासी कर Book Transfer द्वारा अथवा बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से कुल सचिव, रॉची विश्वविद्यालय, रॉची को राशि उपलब्ध करायेगे एवं कुल सचिव उक्त बैंक ड्राफ्ट को चालान के माध्यम से विश्वविद्यालय के लिए संधारित पी० एल० खाता संख्या— 8448 में जमा करायेंगे।

8/5/18

4. रॉची विश्वविद्यालय, रॉची के कुल सचिव द्वारा योजना—सह—वित्त वि-  
सुसंगत आदेश एवं परिपत्रों तथा झारखण्ड कोषागार संहिता—2016 के नियम—339—344 के  
रॉची कोषागार में संचालित पी० एल० खाता संख्या— 8448 से राशि की निकासी कर एक स-  
के अन्दर झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, रॉची को चेक/बैंक ड्राफ्ट से रा-  
उपलब्ध करा दी जायेगी।

5. व्यय उपरान्त स्वीकृत राशि का उपयोगिता प्रमाण—पत्र महालेखाकार झारखण्ड  
एवं विभाग को ससमय उपलब्ध कराया जाय।

6. महालेखाकार का कार्यालय, अंकेक्षण/वित्त (अंकेक्षण) विभाग को विमुक्त एवं  
निकासी की गई राशि का अंकेक्षण का अधिकार होगा।

7. स्वीकृत्यादेश संख्या 162/बजट दिनांक 02.05.2019 में निहित शर्तों एवं  
निदेशों का अक्षरशः पालन किया जायेगा।

विश्वासभाजन,

ह०/-

(दिनेश प्रसाद)

निदेशक, उच्च शिक्षा।

ज्ञापांक—३/यो.१—१३/२०१६ (उ०शि०)।८०९.०५.२०१६ रॉची, दिनांक—०९.०५.१९

प्रतिलिपि:— कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, रॉची/कोषागार  
पदाधिकारी, जिला कोषागार, रॉची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/-

(दिनेश प्रसाद)

निदेशक, उच्च शिक्षा।

ज्ञापांक—३/यो.१—१३/२०१६ (उ०शि०)।८०९.०५.२०१६ रॉची, दिनांक—०९.०५.१९

प्रतिलिपि:— विभागीय सचिव के प्रधान आप्त सचिव/प्रबंध निदेशक, झारखण्ड राज्य भवन  
निर्माण निगम लिमिटेड, रॉची/निदेशक, उच्च शिक्षा के प्रधान आप्त सचिव/ कुलसचिव, रॉची  
विश्वविद्यालय, रॉची/ लेखा शाखा, उच्च शिक्षा, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, झारखण्ड, रॉची  
को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

८०९.०५.१९  
(दिनेश प्रसाद)

निदेशक, उच्च शिक्षा।

**झारखण्ड सरकार**

Higher, Technical Education and Skill Development Department (Higher Educ

2019-20 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है


दिनांक -

09-May-2

3/YO.1-13/2016/185/BUDGET

विषय कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
S 21 220203796B50678 2202 - सामान्य शिक्षा 03 - विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा 796 - जनजातीय भेत्र उपयोजना B5 - विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के आधारभूत संरचना का विकास के लिए विभिन्न अनुदान 06 - अनुदान 78 - कौशिकीय विकास के मृजन हेतु अनुदान State Schemes	24380	DRNEDN046 SRI BHAIYA RAJNISH RANJAN UNDER SECT.HIGHER EDU.DIR.JHA.	20,000,000.00 रुपये दो करोड़
			

GRANT IN AID TO UNIVERSITIES AND EXISTING COLLEGE FOR INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT(1628)



20,000,000.00

संग्रह

अधिकारीक दस्तावेज़

संग्रह के संस्थान

  
CINESH PRASAD

DIRECTOR, HIGHER EDUCATION

*Sr. U.C. Verma*  
*24/01/18*

पत्रांक-3 / यो 01-09/2016(उठिया) 186, १५८

झारखण्ड सरकार  
उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग  
(उच्च शिक्षा प्रभाग)

प्रेषक,

दिनेश प्रसाद,  
निदेशक, उच्च शिक्षा  
उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग,  
झारखण्ड, रॉची।

सेवा में

अवर सचिव—सह—निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,  
उच्च शिक्षा निदेशालय,  
उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग,  
झारखण्ड, रॉची।

रॉची, दिनांक : 09. 05. 2019

विषय:-

वित्तीय वर्ष 2019-20 में रॉची विश्वविद्यालय, रॉची अन्तर्गत बी० एन० जालान कॉलेज, सिसई के परिसर का विकास एवं स्तरोन्नयन के लिए रु० 15,27,71,100/- (पन्द्रह करोड़ सताईस लाख इकहत्तर हजार एक सौ रुपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के विरुद्ध द्वितीय किस्त के रूप में रु० 10,00,00,000/- (दस करोड़ रुपये) मात्र के भुगतान हेतु आवंटन प्रदान करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि स्वीकृत्यादेश संख्या 160/बजट दिनांक 02.05.2019 एवं ऑनलाईन आवंटनादेश (छाया प्रति संलग्न) के आलोक में वित्तीय वर्ष 2019-20 में रॉची विश्वविद्यालय, रॉची अन्तर्गत बी० एन० जालान कॉलेज, सिसई के परिसर का विकास एवं स्तरोन्नयन के लिए रु० 15,27,71,100/- (पन्द्रह करोड़ सताईस लाख इकहत्तर हजार एक सौ रुपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के विरुद्ध द्वितीय किस्त के रूप में रु० 10,00,00,000/- (दस करोड़ रुपये) मात्र के भुगतान हेतु आवंटन प्रदान की जाती है।

2. उपर्युक्त राशि का विकलन वित्तीय वर्ष 2019-20 की राज्य स्कीम बजट के निम्नांकित शीर्ष :-

“मुख्य शीर्ष –2202—सामान्य शिक्षा, 03—विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा, 796—जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, B5- विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के आधारभूत संरचना का विकास हेतु सहायता अनुदान, 06—अनुदान, 78—पूँजी परिसम्पत्ति के सृजन हेतु अनुदान” के अन्तर्गत होगा।”  
(विपत्र कोड—21S220203796B50678) (स्कीम कोड—1628)

3. स्वीकृत राशि की निकासी के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव, उच्च शिक्षा, उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग, झारखण्ड, रॉची होंगे, जो सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, रॉची से राशि की निकासी कर Book Transfer द्वारा अथवा बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से रॉची विश्वविद्यालय, रॉची के कुल सचिव को राशि उपलब्ध करायेगे एवं कुल सचिव उक्त बैंक ड्राफ्ट को चालान के माध्यम से विश्वविद्यालय के लिए संधारित पी० एल० खाता संख्या—8448 में जमा करायेंगे।

4. रॉची विश्वविद्यालय, रॉची के कुल सचिव द्वारा योजना—सह—वित्त विभाग के सुसंगत आदेश एवं परिपत्रों तथा झारखण्ड कोषागार संहिता—2016 के नियम—339—344 के तहत रॉची कोषागार में संचालित पी० एल० खाता संख्या—8448 से राशि की निकासी कर एक सप्ताह के अन्दर झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड को उपलब्ध करा दी जायेगी।

5. व्यय उपरान्त स्वीकृत राशि का उपयोगिता प्रमाण—पत्र महालेखाकार झारखण्ड एवं विभाग को ससमय उपलब्ध कराया जाय।

6. महालेखाकार का कार्यालय, अंकेक्षण/वित्त (अंकेक्षण) विभाग को विमुक्त एवं निकासी की गई राशि का अंकेक्षण का अधिकार होगा।

7. झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 174 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

8. स्वीकृत्यादेश संख्या 160/बजट दिनांक 02.05.2019 में निहित शर्तों एवं निदेशों का अक्षरशः पालन किया जायेगा।

अनुलग्नक— यथोक्त।

विश्वासभाजन,

ह0/-

(दिनेश प्रसाद)

निदेशक, उच्च शिक्षा।

झापांक—3 / यो ०१—०९ / २०१६(उ०शि०)..... / रॉची, दिनांक—..... /

प्रतिलिपि:— कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, रॉची/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, रॉची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/-

(दिनेश प्रसाद)

निदेशक, उच्च शिक्षा।

186 | बजू

झापांक—3 / यो ०१—०९ / २०१६(उ०शि०)..... / रॉची, दिनांक—०९.०५.२०१९/

प्रतिलिपि:— विभागीय सचिव के प्रधान आप्त सचिव/प्रबंध निदेशक, झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, रॉची/निदेशक, उच्च शिक्षा के प्रधान आप्त सचिव/ कुलसचिव, रॉची विश्वविद्यालय, रॉची / लेखा शाखा, उच्च शिक्षा, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, झारखण्ड, रॉची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

द्वादशी

(दिनेश प्रसाद)

निदेशक, उच्च शिक्षा।

## आवंटन आदेश

### झारखण्ड सरकार

Higher, Technical Education and Skill Development Department (Higher Education)

वर्ष 2019-20 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है।

पत्र संख्या - 3/YO.1-09/2016/186/BUDGET

दिनांक - 09-May-


c.e.d.c./F.O.  
15/17

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 21 220203796B50678 2202 - सामान्य शिक्षा 03 - विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना B5 - विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के आधारभूत संरचना का विकास हेतु सहायता अनुदान 06 - अनुदान 78 - पौरी परिसम्पत्ति के सुजन हेतु अनुदान	24354	DRNEDN046 SRI BHAIYA RAJNISH RANJAN UNDER SECT.HIGHER EDU.DIR.JHA.	100,000,000.00 रुपये दस करोड़

#### **State Scheme**

State Scheme :  
Central Scheme :

GRANT IN AID TO UNIVERSITIES AND EXISTING COLLEGE FOR INFRASTRUCTURE  
DEVELOPMENT(1628)



योग:

100,000,000.00

क्रमिक योग:

R.827  
18/6/19

रुपये दस करोड़

28

Sr. U. K. Verma  
Date  
13/6/15

पत्रांक-3 / यो ०१-०९ / २०१६(उ०शि०) १६०, ७८८

ज्ञारखण्ड सरकार  
उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग  
(उच्च शिक्षा प्रभाग)

प्रेषक,

राजेश कुमार शर्मा  
सरकार के सचिव।  
उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग,  
झारखण्ड, राँची।

सेवा में

महालेखाकार,  
पो०-हिनू  
झारखण्ड, राँची।

F.O  
Pm/00029  
12-6-2019

राँची, दिनांक— ०२.०५.२०१९

विषय:-

वित्तीय वर्ष 2019-20 में राँची विश्वविद्यालय, राँची अंतर्गत बी० एन० जालान कॉलेज, सिराई के परिसर का विकास एवं स्तरोन्नयन के लिए ₹ 15,27,71,100/- (पन्द्रह करोड़ सताईस लाख इकहत्तर हजार एक सौ रुपये) मात्र की प्रशासनिक रवीकृति के विलद्ध हितीय किरत के रूप में ₹ 10,00,00,000/- (दस करोड़ रुपये) मात्र की निकासी की रवीकृति के संबंध में।

प्रसंग :-

- स्वीकृत्यादेश संख्या 208 / बजट दिनांक 20.11.2017
- विमुक्ति आदेश संख्या 216 / बजट दिनांक 30.11.2017

महाराष्ट्र,

राज्य में उच्च शिक्षा के गुणात्मक सुधार तथा विश्वविद्यालय/महाविद्यालयों के छात्रों को पर्याप्त आधारभूत सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष राज्य स्कीम मद में विश्वविद्यालयों को सहायता अनुदान के रूप में राशि रवीकृत की जाती है।

2. वित्तीय वर्ष 2019-20 में उप शीर्ष- B5- विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के आधारभूत संरचना का विकास हेतु सहायता अनुदान के लिए लघु शीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना मद में ₹ 60,00,00,000/- (राठ करोड़ रुपये) मात्र का बजट उपबंध प्राप्त है।

3. राँची विश्वविद्यालय, राँची अंतर्गत बी० एन० जालान कॉलेज, सिराई, गुमला के आधारभूत संरचना का विकास मद में परिसर का विकास एवं स्तरोन्नयन हेतु झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड के पत्रांक 475 (नि०) दिनांक 08.03.2017 द्वारा ₹ 15,27,71,100/- (पन्द्रह करोड़ सताईस लाख इकहत्तर हजार एक सौ रुपये) मात्र के प्राक्कलन पर Estimate No. 40-TA/ JSBCCL/RU/2016-17 दिनांक 07.03.17 द्वारा प्राप्त तकनीकी अनुमोदन के अनुरूप स्वीकृत्यादेश संख्या 208 / बजट दिनांक 20.11.2017 द्वारा ₹ 15,27,71,100/- (पन्द्रह करोड़ सताईस लाख इकहत्तर हजार एक सौ रुपये) मात्र की प्रशासनिक रवीकृति प्रदान की गयी है।

4. उक्त स्वीकृत्यादेश के आलोक ने विमुक्ति आदेश संख्या-216 / बजट दिनांक 30.11.2017 द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 में ₹ 3,00,00,000/- (तीन करोड़ रुपये) मात्र की विमुक्ति की गयी है।

5. वित्तीय वर्ष 2019-20 में निर्माणाधीन बी० एन० जालान कॉलेज, सिराई के परिसर एवं स्तरोन्नयन के लिए ₹ 15,27,71,100/- (पन्द्रह करोड़ सताईस लाख एकहत्तर हजार एक सौ रुपये) मात्र की प्रशासनिक रवीकृति के विलद्ध हितीय किरत के रूप में ₹ 10,00,00,000/- (दस करोड़ रुपये) मात्र की निकासी की रवीकृति प्रदान की जाती है।

6. उपर्युक्त राशि का विकलन वित्तीय वर्ष 2018-19 की राज्य स्कीम बजट के निम्नांकित शीर्ष- "मुख्य शीर्ष - 2202- सामान्य शिक्षा, 03- विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा, 796- जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, B5- विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के आधारभूत संरचना का विकास हेतु सहायता अनुदान, 06- अनुदान, 78- पूँजी परिसम्पत्ति के सृजन हेतु अनुदान" के अंतर्गत होगा।"

(विपत्र कोड-21S220203796B50678) (स्कीम कोड-1628)

7. वित्त विभाग के पत्रांक-3520 दिनांक-11.12.07 में प्ररांगाधीन मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड की अधिसूचना संख्या-4151 दिनांक-18.12.2001 के आलोक में यह रवीकृत्यादेश विभाग को प्रदत्त शक्ति के अधीन है।

8. यह आदेश मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग के अधिसूचना संख्या-301 दिनांक 11.03.2015 के कंडिका-9 में प्रदत्त शक्ति के अधीन है।

9. उपरोक्त योजना पर योजना-सह-वित्त विभाग के ज्ञापक रायोप्रयोग-245 / 17 दिनांक 03.11.2017 द्वारा राज्य योजना प्राधिकृत समिति की स्वीकृति प्राप्त है।

804  
8/19

10. स्वीकृत राशि की निकासी के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अवर सचिव, उच्च शिक्षा, उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग, झारखण्ड, रॉची होगे, जो सचिवालय कोषागार डोरण्डा रॉची से राशि की निकासी कर Book Transfer, बैंक ड्राफ्ट अथवा योजना—सह—वित्त विभाग द्वारा निर्गत किये गये प्रासमिज आदेश से विहित माध्यम द्वारा रॉची विश्वविद्यालय, रॉची के कुल सचिव को राशि उपलब्ध करायेंगे एवं कुल सचिव उक्त बैंक ड्राफ्ट को चालान के माध्यम से विश्वविद्यालय के लिए संचालित पी० एल० खाता संख्या— 8448 में जमा करायेंगे।

11. रॉची विश्वविद्यालय, रॉची के कुल सचिव द्वारा योजना—सह—वित्त विभाग के सुसंगत आदेश एवं परिपत्रों तथा झारखण्ड कोषागार सहिता—2016 के नियम—339—344 के तहत पी० एल० खाता संख्या— 8448 से एक सप्ताह के अंदर झारखण्ड राज्य भवन निर्माण नियम लिमिटेड के पी० एल० खाता में अतिरिक्त ऊर्दी जायेगी।

12. इस मद में विगत वित्तीय वर्ष के पूर्व वर्ष में निकासी की गई राशि की विवरणी—

स्वीकृत्यादेश संख्या एवं तिथि	निकासी की गई राशि	प्राप्त उपयोगिता प्रमाण पत्र की राशि
208 / बजट दिनांक 20.11.2017	3,00,00,000/-	2,69,74,771/-

13. स्वीकृत योजना की राशि की विमुक्ति एक मुश्त की जायेगी।

14. राशि की विमुक्ति निम्न शर्तों के अधीन की जायेगी—

(क) स्वीकृत्यादेश संख्या 208 / बजट दिनांक 20.11.2017 में अंकित निर्माण से संबंधित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(ख) विमुक्त राशि का विचलन किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जायेगा।

(ग) झारखण्ड वित्त नियमावली के नियम 343 का दृढ़तापूर्वक अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

15. झारखण्ड कोषागार सहिता के नियम 174 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

16. व्यय उपरान्त स्वीकृत राशि का उपयोगिता प्रमाण—पत्र महालेखाकार झारखण्ड एवं विभाग को सम्मय उपलब्ध कराया जाय।

17. महालेखाकार का कार्यालय, अकेक्षण/वित्त (अकेक्षण) विभाग को विमुक्त एवं निकासी की गई राशि का अकेक्षण का अधिकार होगा।

18. स्वीकृत राशि की निकासी हेतु तैयार विषय पर श्री दिगेश्वर तिवारी, संयुक्त सचिव उच्च तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग द्वारा प्रतिहस्ताक्षर किया जायेगा।

19. वित्तीय वर्ष 2018—19 में इस हेतु निर्गत स्वीकृत्यादेश संख्या 81 / बजट दिनांक 15.03.2019 एवं आवंटनादेश संख्या 95 / बजट दिनांक 18.03.2019 द्वारा राशि की निकासी नहीं की जा सकी क्योंकि कोषागार से तकनीकी कारणों से पारित विषय पत्र का XML Generate नहीं किया जा सका।

विश्वासभाजन,

हो/-

(राजेश कुमार शर्मा)  
सरकार के सचिव।

ज्ञापाक—3 / यो०1—09 / 2016(उ०शि०)..... / रॉची, दिनांक—..... 2019

प्रतिलिपि— कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, रॉची / कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, रॉची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

हो/-

(राजेश कुमार शर्मा)  
सरकार के सचिव।

ज्ञापाक—3 / यो०1—09 / 2016(उ०शि०) 160/४८८ / रॉची, दिनांक— ०२/०५/ 2019

प्रतिलिपि— विभागीय राचिव के प्रधान आप्त सचिव/प्रवेद निदेशक, झारखण्ड राज्य भवन निर्माण नियम लिमिटेड, रॉची / निदेशक, उच्च शिक्षा के प्रधान आप्त सचिव/ कुलसचिव, रॉची विश्वविद्यालय, रॉची / अवर सचिव—सह—निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी / लेखा शाखा, उच्च शिक्षा, उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(राजेश कुमार शर्मा)  
सरकार के सचिव।

## JTC Form-4

[See Rule 45]

(Obverse)

Challan No.: .....

Treasury.: Ranchi

Major Head	8448-Deposits of Local Funds	Treasury Code	RNC
Sub Major Head	00-Deposits of Local Funds	DDO Code	RNCBLD111
Minor Head	120-Other Funds	Bank Code	0000167
Sub Head	15-		

Challan of cash into the State Bank of India at .....

To be filled by the Remitter			To be filled in by the Departmental Officer of the Treasury		
By whom tendered		Name (or designation) and address of the person on whose behalf money is paid	Full particulars of the remittance and of Authority (if any)	Amounts	Head of Account
Name	.....	DR AMAR KUMAR CHAUDHARY (RNCECDN462) REGISTRAR RANCHI UNIVERSITY	FOR CONSTRUCTION OF B N JALAN COLLEGE SISA GUMLA	100000000 <small>844800120150102 02-Dearness Allowance</small>	Order of the Bank  Signature and full designation of the officer ordering the money to be paid in.
*(in words)Rupees Ten Crore/- Only			*To be used only in the case of remittances to the Bank through Departmental Officer or the Treasury Officer.		

Received Payment

..... Date .....

Treasurer

Accountant

Treasury Officer

Agent or Manager

Note 1: In the case of payments at the Treasury, receipts for the sums less than Rs.100,000/- do not require the signature of the Treasury Officer, but only of the Accountant and the Treasurer.

Note 2: Particulars of money tendered should be given on the reverse.

Note 3: In cases where direct credits at the Bank are permissible, the column "Head of Account" will be filled in by the Treasury Officer or the Accountant-General as the case may be, on the receipt of Bank's Daily Sheet.

*S. V. K. Verma*  
*संग्रहीत  
१५६/१८*

पत्रांक-3 / यो. 1-02/2019 (उठाई) 183, बजट  
ज्ञारखण्ड सरकार  
उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग  
(उच्च शिक्षा प्रभाग)

प्रेषक,

सेवा में

दिनेश प्रसाद,  
निदेशक, उच्च शिक्षा  
उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग,  
ज्ञारखण्ड, राँची।

अवर सचिव—सह—निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,  
उच्च शिक्षा निदेशालय,  
उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग,  
ज्ञारखण्ड, राँची।

विषयः—

राँची, दिनांक : 09.05.2019  
वित्तीय वर्ष 2019-20 में राँची विश्वविद्यालय, राँची अंतर्गत डोरण्डा कॉलेज, डोरण्डा को प्रिमियर संस्थान बनाने के लिए आधारभूत संरचना का विकासम् द्वेनु रुपये 10,98,70,500.00 (दस करोड़ अनठानवे लाख सत्तर हजार पाँच सौ रुपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के विरुद्ध ₹ 2,00,00,000/- (दो करोड़ रुपये) मात्र के भुगतान हेतु आवंटन प्रदान करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि स्वीकृत्यादेश संख्या 164/बजट दिनांक 02.05.2019 एवं ऑनलाईन आवंटनादेश (छाया प्रति संलग्न) के आलोक में संस्थान बनाने के लिए आधारभूत संरचना का विकास हेतु ₹ 10,98,70,500.00 (दस करोड़ अनठानवे लाख सत्तर हजार पाँच सौ रुपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के विरुद्ध ₹ 2,00,00,000/- (दो करोड़ रुपये) मात्र के भुगतान हेतु आवंटन प्रदान की जाती है।

2. उपर्युक्त राशि का विकलन वित्तीय वर्ष 2019-20 की राज्य स्कीम बजट के निम्नांकित शीर्ष :-

“मुख्य शीर्ष -2202-सामान्य शिक्षा, 03-विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा, 796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, B5- विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के आधारभूत संरचना का विकास हेतु सहायता अनुदान, 06 अनुदान, 78-पूँजी परिसम्पत्ति के सृजन हेतु अनुदान” के अन्तर्गत होगा।”(विपत्र कोड-21S220203796B50678) (स्कीम कोड-1628)

3. स्वीकृत राशि की निकासी के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव, कोषागार, डोरण्डा, राँची से राशि की निकासी कर Book Transfer द्वारा अथवा बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से राँची विश्वविद्यालय, राँची के कुल सचिव को राशि उपलब्ध करायेगे एवं कुल सचिव उक्त बैंक ड्राफ्ट को चालान के माध्यम से विश्वविद्यालय के लिए संधारित पी० एल० खाता संख्या-8448 में जमा करायेंगे।

4. राँची विश्वविद्यालय, राँची के कुल सचिव द्वारा योजना-सह-वित्त विभाग के सुसंगत आदेश एवं परिपत्रों तथा ज्ञारखण्ड कोषागार संहिता-2016 के नियम-339-344 के तहत राँची कोषागार में संचालित पी० एल० खाता संख्या- 8448 से राशि की निकासी कर एक सप्ताह के अन्दर ज्ञारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, राँची को चेक/बैंक ड्राफ्ट से राशि उपलब्ध करा दी जायेगी।

5. व्यय उपरान्त स्वीकृत राशि का उपयोगिता प्रमाण—पत्र महालेखाक एवं विभाग को ससमय उपलब्ध कराया जाय।

6. महालेखाकार का कार्यालय, अंकेक्षण/वित्त (अंकेक्षण) विभाग को विमुक्त निकासी की गई राशि का अंकेक्षण का अधिकार होगा।

7. झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 174 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

8. स्वीकृत्यादेश संख्या 164/बजट दिनांक 02.05.2019 में निहित शर्तों एवं निदेशों का अक्षरशः पालन किया जायेगा।

विश्वासभाजन,

ह0/-

(दिनेश प्रसाद)

निदेशक, उच्च शिक्षा।

ज्ञापांक-3 / यो.1-02/2019 (उ०शि०) १८३/७४२ रॉची, दिनांक- ०९.०५.१९

प्रतिलिपि:- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, रॉची/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, रॉची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/-

(दिनेश प्रसाद)

निदेशक, उच्च शिक्षा।

ज्ञापांक-3 / यो.1-02/2019 (उ०शि०) १८३/७४२ रॉची, दिनांक- ०९.०५.१९

प्रतिलिपि:- विभागीय सचिव के प्रधान आप्त सचिव/प्रबंध निदेशक, झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, रॉची/निदेशक, उच्च शिक्षा के प्रधान आप्त सचिव/ कुलसचिव, रॉची विश्वविद्यालय, रॉची /प्राचार्य, डोरण्डा कॉलेज, डोरण्डा/ लेखा शाखा, उच्च शिक्षा, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, झारखण्ड, रॉची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(दिनेश प्रसाद)

निदेशक, उच्च शिक्षा।

आवंटन आदेश

झारखण्ड सरकार

Higher, Technical Education and Skill Development Department (Higher Educ

2019-20 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है।

त्र्या -

3/YO.1-02/2019/183/BUDGET

F.O/C.C.E.S.C  
15/6/19

दिनांक -


09-May-2

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 21 220203796B50678 2202 - सामान्य शिक्षा 03 - विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना B5 - विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के आधारभूत संरचना का विकास हेतु सहायता अनुदान 06 - अनुदान 78 - पूँजी परिसम्पत्ति के सृजन हेतु अनुदान <b>State Scheme</b>	24375	DRNEDN046 SRI BHAIYA RAJNISH RANJAN UNDER SECT.HIGHER EDU.DIR.JHA.	20,000,000.00 रुपये दो करोड

State Scheme :

GRANT IN AID TO UNIVERSITIES AND EXISTING COLLEGE FOR INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT(1628)

Central Scheme :



योग:

20,000,000.00

क्रमिक योग:

रुपये दो करोड

R 8/28  
18/6/19

(DINESH PRASAD)

*Smt. U.C. Verma  
13/6/19*

पत्रांक:- ३ / यो. १-०२ / २०१९ (उ०शि०) । ६४, ०५८

झारखण्ड सरकार

उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग  
(उच्च शिक्षा प्रभाग)

प्रेषक,

राजेश कुमार शर्मा  
सरकार के सचिव।

सेवा मे

महालेखाकार,  
पो०-हिनू  
झारखण्ड, रौची।

*F.O*

*For ०५८  
12-06-2019*

रौची, दिनांक - ०२.०५.२०१९

विषय:-

वित्तीय वर्ष 2019-20 में रौची विश्वविद्यालय, रौची अंतर्गत डोरण्डा कॉलेज, डोरण्डा को प्रिमियर संस्थान बनाने के लिए आधारभूत संरचना का विकास हेतु रु० 10,98,70,500.00 (दस करोड़ अनठानवे लाख सत्तर हजार पौंच सौ रुपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के विरुद्ध रु० 2,00,00,000/- (दो करोड़ रुपये) मात्र की निकासी की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

राज्य में उच्च शिक्षा के गुणात्मक व्युधार तथा विश्वविद्यालय/महाविद्यालयों के छात्रों को पर्याप्त आधारभूत सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष राज्य स्कीम बजट से विश्वविद्यालयों को सहायता अनुदान के रूप में राशि रखीकृत की जाती है।

2. राज्य सरकार द्वारा 11 अंगीभूत महाविद्यालयों को प्रिमियर संस्थान करने के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया गया है। जिसने से एक डोरण्डा महाविद्यालय, डोरण्डा रौची भी है। विनिष्ट कॉलेजों के राष्ट्रीय स्तर के लब्ध प्रतिष्ठित संस्थान के सदृश्य विकसित करने हेतु Job oriented course, Computer Lab, Smart classes, e-library की सुविधा आधारभूत संरचना का छात्रों की संख्या के अनुरूप विकास एवं अत्याधुनिक सुविधाएँ आदि उपलब्ध कराया जाना है।

3. रौची विश्वविद्यालय, रौची अंतर्गत डोरण्डा कॉलेज, डोरण्डा को प्रिमियर संस्थान बनाने के लिए आधारभूत संरचना का विकास हेतु झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड द्वारा विभिन्न निर्माण कार्यों के लिए डी०पी०आर० का निर्माण किया गया है, जिसमें Classroom Complex (G+3), Parking, Multipurpose Hall & Auditorium (G+2) के साथ परिसर का रौन्दर्यीकरण हेतु कार्य सम्मिलित है। उक्त योजना प्रस्ताव पर झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड के पत्रांक 3286 (नि०) दिनांक 12.12.2018 के Estimate No. 177/T.A/RU/JSBCCL/2018-19 द्वारा रु० 10,98,70,500/- (दस करोड़ अनठानवे लाख सत्तर हजार पौंच सौ रुपये) मात्र का तकनीकी अनुमोदन प्रदान किया गया है। तकनीकी अनुमोदन के अनुरूप स्वीकृत्यादेश संख्या 37/बजट दिनांक 01.03.2019 द्वारा रु० 10,98,70,500.00 (दस करोड़ अनठानवे लाख सत्तर हजार पौंच सौ रुपये) मात्र की प्रशासनिक रखीकृति प्रदान की गयी है।

4. वित्तीय वर्ष 2019-20 में उपरोक्त निर्माण कार्यों के लिए रु० 10,98,70,500.00 (दस करोड़ अनठानवे लाख सत्तर हजार पौंच सौ रुपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के विरुद्ध रु० 2,00,00,000/- (दो करोड़ रुपये) मात्र की निकासी की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

5. वित्तीय वर्ष 2019-20 में विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के आधारभूत संरचना का विकास हेतु सहायता अनुदान के लिए लघु शीर्ष-796- जनजातीय क्षेत्र उपयोजना मद मे रु० 60,00,00,000/- (साठ करोड़ रुपये) मात्र का बजट उपबंध प्राप्त है।

6. राशि का विकलन वित्तीय वर्ष 2019-20 की गत्य स्कीम बजट के निम्नांकित शीर्ष :- "मुख्य शीर्ष - 2202- सामान्य शिक्षा, 03- विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा, 796- जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, BS- विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के आधारभूत संरचना का विकास हेतु सहायता अनुदान, 06- अनुदान, 78- पूँजी परिसम्पत्ति के सूजन हेतु अनुदान" के अन्तर्गत होगा। (विपत्र कोड-21S220203796BS06-8) (स्कीम कोड-1628)

7. वित्त विभाग के पत्रांक-3520, दिनांक-11.12.07 में प्रसंगाधीन मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड की अधिसूचना संख्या-301, दिनांक-11.03.2015 के आलोक में यह स्वीकृत्यादेश विभाग को प्रदत्त शक्ति के अधीन है।

8. इस मद में विगत वित्तीय वर्ष के पूर्व वर्ष में निकासी की गयी राशि की विवरणी-

स्वीकृत्यादेश संख्या एवं तिथि	निकासी की गई राशि	प्राप्त उपयोगिता प्रमाण पत्र की राशि
-	-	-

80/

9. वित्त विभाग के संकल्प ज्ञापाक-759, दिनांक-20.03.2015 के अनुसार राशि की निकासी हेतु प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

10. स्वीकृत राशि की निकासी के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अबर सचिव, उच्च तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग, झारखण्ड, रॉची होमे, जो Book Transfer द्वारा अथवा राशि की निकासी कर बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से कुल सचिव, रॉची विश्वविद्यालय, रॉची को राशि उपलब्ध करायेगे एवं कुल सचिव उक्त बैंक ड्राफ्ट को चालान के माध्यम से पी० एल० खाता रांच्या-8448 में जमा करायेंगे।

11. रॉची विश्वविद्यालय, रॉची के कुल रायिव द्वारा योजना-सह-वित्त विभाग के सुसगत आदेश एवं परिपत्रों तथा झारखण्ड कोषागार संहिता-2016 के नियम-339-344 के तहत पी० एल० खाता सख्या-8448 से एक सप्ताह के अन्दर झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, रॉची के पी० एल० खाता में राशि अंतरित कर दी जायेगी।

12. स्वीकृत योजना की राशि की विमुक्ति एक मुश्त की जायेगी।

13. राशि की विमुक्ति निम्न शर्तों के अधीन की जायेगी—

(क) स्वीकृत्यादेश सख्या 37/बजट दिनांक 01.03.2019 में अंकित शर्तों एवं बंधेजो का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(ख) विमुक्त राशि का विचलन किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जायेगा।

(ग) झारखण्ड वित्त नियमावली के नियम 343 का दृढ़तापूर्वक अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

14. व्यय उपरान्त स्वीकृत राशि का उपर्योगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार झारखण्ड एवं विभाग को ससमय उपलब्ध कराया जाय।

15. झारखण्ड कोषागार सहिता के नियम 174 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

16. महालेखाकार का कार्यालय, अंकेक्षण/वित (अंकेक्षण) विभाग को विमुक्त एवं निकासी की गई राशि का अंकेक्षण का अधिकार होगा।

17. स्वीकृत राशि की निकासी हेतु तैयार विपत्र पर श्री दिगोध्वर तिवारी, संयुक्त सचिव उच्च तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग द्वारा प्रतिहस्ताक्षर किया जायेगा।

18. वित्तीय वर्ष 2018-19 में इस हेतु निर्गत स्वीकृत्यादेश सख्या 37/बजट दिनांक 01.03.2019 एवं आवंटनादेश संख्या 40/बजट दिनांक 06.03.2019 द्वारा राशि की निकासी नहीं की जा सकी क्योंकि कोषागार में तकनीकी कारणों से पारित विपत्र का XML Generate नहीं किया जा सका।

विश्वासभाजन,

₹0/-

(राजेश कुमार शर्मा)  
सरकार के सचिव।

ज्ञापाक: 3/यो.1-02/2019 (उ०शि०) ..... रॉची, दिनांक ..... ०२/०५/2019  
प्रतिलिपि:- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, रॉची/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, रॉची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

₹0/-

(राजेश कुमार शर्मा)  
सरकार के सचिव।

ज्ञापाक: 3/यो.1-02/2019 (उ०शि०) 164/७६४, रॉची, दिनांक ०२/०५/2019  
प्रतिलिपि:- विभागीय सचिव, के प्रधान आप्त सचिव/ निदेशक, उच्च शिक्षा के प्रधान आप्त सचिव/ कुलसचिव, रॉची विश्वविद्यालय, रॉची /अबर सचिव-सह- निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी (उच्च शिक्षा)/ लेखा शाखा, उच्च शिक्षा, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, झारखण्ड, रॉची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(राजेश कुमार शर्मा)  
सरकार के सचिव।

JTC Form-4  
[See Rule 45]  
(Obverse)

Challan No.: .....

Treasury.: Ranchi

Major Head	8448-Deposits of Local Funds	Treasury Code	RNC
Sub Major Head	00-Deposits of Local Funds	DDO Code	RNCBL111
Minor Head	120-Other Funds	Bank Code	0000167
Sub Head	15-		

Challan of cash into the State Bank of India at .....

To be filled by the Remitter			To be filled in by the Departmental Officer of the Treasury		
By whom tendered	Name (or designation) and address of the person on whose behalf money is paid	Full particulars of the remittance and of Authority (if any)	Amounts	Head of Account	Order of the Bank
Name .....  Sign .....	DR AMAR KUMAR CHAUDHARY (RNCEDN462) REGISTRAR RANCHI UNIVERSITY	for construction of doranda college	20000000	844800120150102 02-Dearness Allowance	Signature and full designation of the officer ordering the money to be paid in.
*(in words)Rupees Two Crore/- Only			*To be used only in the case of remittances to the Bank through Departmental Officer or the Treasury Officer.		

Received Payment ..... Date .....

Treasurer

Accountant

Treasury Officer

Agent or Manager

Note 1: In the case of payments at the Treasury, receipts for the sums less than Rs.100,000/- do not require the signature of the Treasury Officer, but only of the Accountant and the Treasurer.

Note 2: Particulars of money tendered should be given on the reverse.

Note 3: In cases where direct credits at the Bank are permissible, the column "Head of Account" will be filled in by the Treasury Officer or the Accountant-General as the case may be, on the receipt of Bank's Daily Sheet.

*Sri U.T. Verma*  
*27/6/19*  
पत्रांक-1 / यो. 1-01 / 2016 (उ०शि०) 188, ७८८  
ज्ञारखण्ड सरकार  
उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग  
(उच्च शिक्षा प्रभाग)

प्रेषक,

दिनेश प्रसाद,  
निदेशक, उच्च शिक्षा  
उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग,  
झारखण्ड, राँची।

सेवा में

अवर सचिव—सह—निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,  
उच्च शिक्षा निदेशालय,  
उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग,  
झारखण्ड, राँची।

राँची, दिनांक : 09.05.2019

*27/6/19*

विषय:-

वित्तीय वर्ष 2019–20 में राँची विश्वविद्यालय, राँची अन्तर्गत डोरण्डा कॉलेज, डोरण्डा में स्मार्ट क्लास रूम, पुस्तकालय एवं प्रयोगशाला के साज—सज्जा हेतु फर्नीचर एवं अन्य उपस्करों के अधिष्ठापन के लिए कुल रु० 4,10,89,000/- (चार करोड़ दस लाख नवासी हजार रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के विरुद्ध प्रथम किस्त के रूप में रु० 3,00,00,000/- (तीन करोड़ रूपये मात्र के भुगतान हेतु आवंटन प्रदान करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि स्वीकृत्यादेश संख्या 163/बजट दिनांक 02.05.2019 एवं ॲनलाइन आवंटनादेश (छाया प्रति संलग्न) के आलोक में वित्तीय वर्ष 2019–20 में राँची विश्वविद्यालय, राँची अन्तर्गत डोरण्डा कॉलेज, डोरण्डा में स्मार्ट क्लास रूम, पुस्तकालय एवं प्रयोगशाला के साज—सज्जा हेतु फर्नीचर एवं अन्य उपस्करों के अधिष्ठापन के लिए कुल रु० 4,10,89,000/- (चार करोड़ दस लाख नवासी हजार रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के विरुद्ध प्रथम किस्त के रूप में रु० 3,00,00,000/- (तीन करोड़ रूपये मात्र के भुगतान हेतु आवंटन प्रदान की जाती है।

2. उपर्युक्त राशि का विकलन वित्तीय वर्ष 2019–20 की राज्य स्कीम बजट के निम्नांकित शीर्ष के अन्तर्गत होगा:-

“मुख्य शीर्ष –2202—सामान्य शिक्षा, 03—विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा, 796—जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, B7—पुस्तकालय, प्रयोगशाला, कम्प्यूटर सेन्टर, उद्यमशीलता विकास केन्द्रों की स्थापना तथा आई.सी.टी. इन्क्रास्ट्रक्चर हेतु सहायता अनुदान, 06—अनुदान, 78—पैंजी परिसम्पत्ति के सृजन हेतु अनुदान” के अन्तर्गत होगा। (विपत्र कोड—21S220203796B70678) (स्कीम कोड— 1630)

3. स्वीकृत राशि की निकासी के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव, उच्च शिक्षा, उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग, झारखण्ड, राँची होंगे, जो सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, राँची से राशि की निकासी कर Book Transfer द्वारा अथवा बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से कुल सचिव, राँची विश्वविद्यालय, राँची को राशि उपलब्ध करायेगे एवं कुल सचिव उक्त बैंक ड्राफ्ट को चालान के माध्यम से विश्वविद्यालय के लिए संधारित पी० एल० खाता संख्या— 8448 में जमा करायेंगे।

७९

4. रॉची विश्वविद्यालय, रॉची के कुल सचिव द्वारा योजना—सह—वित्त विभाग सुसंगत आदेश एवं परिपत्रों तथा झारखण्ड कोषागार संहिता—2016 के नियम—339—344 के तर्फ संचालित पी० एल० खाता संख्या— 8448 से राशि की निकासी कर एक सप्ताह के अन्दर महाविद्यालय को उपलब्ध करा दी जायेगी।

5. व्यय उपरान्त स्वीकृत राशि का उपयोगिता प्रमाण—पत्र महालेखाकार झारखण्ड एवं विभाग को ससमय उपलब्ध कराया जाय।

6. महालेखाकार का कार्यालय, अंकेक्षण/वित्त (अंकेक्षण) विभाग को विमुक्त एवं निकासी की गई राशि का अंकेक्षण का अधिकार होगा।

7. स्वीकृत्यादेश संख्या 163/बजट दिनांक 02.05.2019 में निहित शर्तों एवं निदेशों का अक्षरशः पालन किया जायेगा।

विश्वासभाजन,  
ह०/-


(दिनेश प्रसाद)  
निदेशक, उच्च शिक्षा।

ज्ञापांक—1/यो.1-01/2016 (उ०शि०)..... /      रॉची, दिनांक—..... /  
प्रतिलिपि:- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, रॉची/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, रॉची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/-  
(दिनेश प्रसाद)

१४४।४८५  
ज्ञापांक—1/यो.1-01/2016 (उ०शि०)..... /      रॉची, दिनांक—०३.०५.२०१९  
निदेशक, उच्च शिक्षा।

प्रतिलिपि:- विभागीय सचिव के प्रधान आप्त सचिव/ निदेशक, उच्च शिक्षा के प्रधान आप्त सचिव/ कुलसचिव, रॉची विश्वविद्यालय, रॉची/प्राचार्य, डोरण्डा कॉलेज, डोरण्डा/ लेखा शाखा, उच्च शिक्षा, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, झारखण्ड, रॉची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

  
(दिनेश प्रसाद)  
निदेशक, उच्च शिक्षा।

7. उपर्युक्त राशि का गिकलन वित्तीय वर्ष 2019-20 की राज्य स्कौल बजट के "मुख्य शीर्ष -2202-सामान्य शिक्षा, 03-विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा, 796- जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, B7-प्रतकालय, प्रधोगशाला, कम्प्यूटर सेन्टर, उद्यमशीलता विकास केन्द्रों की स्थापना तथा आई.सी.टी. इन्कारस्ट्रक्चर हेतु सहायता अनुदान, 06-अनुदान, 78-हृजी परिराम्पति के रूजन हेतु अनुदान" के अन्तर्गत होगा। (विष्व नोड-21S220203796B70678) (स्कौल कोड- 1630)

8. वित्त विभाग के संकर्त्य ज्ञापांक 759 दिनांक 20.03.2015 के अनुसार राशि की निकारी हेतु प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

9. स्वीकृत राशि की निकारी के लिए निकारी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव, उच्च तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग, झारखण्ड, रॉची होगे, जो समियालय कोषागार, लोरण्डा, रॉची से राशि की निकारी कर Book Transfer, बैंक ड्राफ्ट अथवा योजना-राह-वित्त विभाग द्वारा निर्गत किये गये राशि की निकारी कर Book Transfer, बैंक ड्राफ्ट अथवा योजना-राह-वित्त विभाग द्वारा निर्गत किये गये प्रासंगिक आदेश में विहित माध्यम द्वारा कुल सचिव, रॉची विश्वविद्यालय, रॉची को राशि उपलब्ध करायेंगे एवं कुल सचिव उक्त बैंक ड्राफ्ट को चालान के माध्यम से पी० एल० खाता संख्या- 8448 से जमा करायेंगे।

10. रॉची विश्वविद्यालय, रॉची के कुल सचिव द्वारा योजना-राह-वित्त विभाग के सुसंगत आदेश एवं परिपत्रों तथा झारखण्ड कोषागार सहिता-2016 के नियम-339-344 के तहत पी० एल० खाता संख्या- 8448 से राशि की निकारी की जायेगी।

11. स्वीकृत होजन की राशि की विमुक्ति एक मुश्त की जायेगी।

12. राशि की विमुक्ति नियम शर्तों के अधीन की जा रही है -

- c) सामग्री/उपस्करों का कथ खुली निविदा अथवा हू-टेप्डर के माध्यम से किया जाएगा।
- b) विमुक्त राशि का विचलन किसी भी परिरिक्ति में नहीं किया जायेगा।
- c) झारखण्ड वित्त नियमावली के नियम-343 का दृढ़तापूर्वक अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
- 13. झारखण्ड कोषागार सहिता के नियम 174 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
- 14. आवश्यक उपरान्त स्वीकृत राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार झारखण्ड एवं विभाग की संसम्बद्धता कराया जाय।

15. महालेखाकार का कार्यालय, अकेक्षण/दित्त (अकेक्षण) विभाग को विमुक्त एवं निकारी की गई राशि का अंकेक्षण का अधिकार होगा।

16. प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

17. रखीकृत राशि की निकारी हेतु तैयार विष्व पर श्री दिग्गेश्वर तिवारी, संयुक्त सचिव, उच्च तकनीकी शिक्षा एवं जैशल विकास विभाग द्वारा प्रतिहस्तानकर किया जायेगा।

18. वित्तीय वर्ष 2018-19 में इस इनु निर्गत रखीकृत्यादेश संख्या 53/बजट दिनांक 08.03.2019 एवं अद्वितीय संख्या 75/बजट दिनांक 12.03.2019 द्वारा राशि की निकारी नहीं की जा सकता।

सकी जायकि कोषागार में तकनीकी कारणों से परिवर्त विष्व का XII Generate नहीं किया जा सकता।

विश्वासनमज्जन,

60/-

(राजेश कुमार शर्मा)  
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक 1/यो.1-01/2016 (उ०शि०) ..... रॉची, दिनांक ..... 2019  
प्रतिलिपि- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, लोरण्डा, रॉची/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, रॉची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

80/-  
(राजेश कुमार शर्मा)  
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक: 1/यो.1-01/2016 (उ०शि०) 163। विष्व रॉची, दिनांक 02/05/2019  
प्रतिलिपि- विभागीय सचिव, के प्रधान आप्त सचिव/ निदेशक, उच्च शिक्षा के प्रधान आप्त सचिव/ आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग झारखण्ड, रॉची/ कुलसचिव, रॉची विश्वविद्यालय, रॉची /अवर सचिव-राह- निकारी एवं व्ययन पदाधिकारी (उच्च शिक्षा)/ लेखा साखा, उच्च एवं रॉची /अवर सचिव-राह- निकारी एवं व्ययन पदाधिकारी (उच्च शिक्षा)/ लेखा साखा, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, झारखण्ड, रॉची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

70/-  
(राजेश कुमार शर्मा)  
सरकार के सचिव।

En U.K.V  
13/6/19

पत्रांक:- 1 / यो. 1 - 01 / 2016 (उ०शि०) 163, ७५८  
झारखण्ड सरकार  
उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग  
(उच्च शिक्षा प्रभाग)

प्रेषक,

राजेश कुमार शर्मा  
सरकार के सचिव।  
उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग,  
झारखण्ड, रॉची।

सेवा में

महालेखाकार,  
पी०-हिनू  
झारखण्ड, रॉची।

f.O  
R-80629  
12.6.2019

विषय:-

वित्तीय वर्ष 2019-20 में रॉची विश्वविद्यालय, रॉची अन्तर्गत डोरण्डा कॉलेज डोरण्डा में स्मार्ट क्लास रूम, पुस्तकालय एवं प्रयोगशाला के साज-सज्जा हेतु फर्नीचर एवं अन्य उपस्करों के अधिष्ठापन के लिए कुल रु० 4,10,89,000/- (चार करोड़ दस लाख नवासी हजार रुपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के विरुद्ध रु० 3,00,00,000/- (तीन करोड़ रुपये) मात्र की निकासी की स्वीकृति।

महाशय,

विश्वविद्यालय एवं इसके अंदीन अधीनसंस्थ महाविद्यालयों के अध्यारकृत संस्थान या विकास मद में राज्य सरकार द्वारा दिनिक घोजनारै रखी जाती है जिससे सहविद्यालय में पठने वाले छात्र-छात्राओं को अधिकाधिक सुविधा उपलब्ध किया जा सके। इस हेतु राज्य स्कौम मद से राशि की संवृद्धि एवं दिनांक द्वारा जाती है जिसका कार्यान्वयन विश्वविद्यालय/महाविद्यालय रहर से किया जाता है।

2 वित्तीय वर्ष 2019-20 में राज्य स्कौम के अन्तर्गत विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों के पुस्तकालय, प्रयोगशाला, कम्प्यूटर सेन्टर, उद्यमशीलता विकास केन्द्रों की स्थापना तथा आई.सी.टी. इन्फ्रास्ट्रक्चर हेतु सहायता अनुदान के लिए लघु शीर्ष-102- विश्वविद्यालयों को सहायता मद में रु०-5,00 करोड़ (पाँच करोड़ रुपये) मात्र तथा लघु शीर्ष-796- जनजातीय क्षेत्र उपयोजना मद में रु० 5,00 करोड़ (पाँच करोड़ रुपये) मात्र अर्थात् कुल रु० 10,00 करोड़ (दस करोड़ रुपये) मात्र का बजट कर्णाक्तित है।

3 वित्तीय वर्ष 2015-16 में स्वीकृत्यादेश संख्या 506 दिनांक 25.02.2016 द्वारा डोरण्डा कॉलेज डोरण्डा में कक्षा भवन एवं पुस्तकालय भवन के निर्माण हेतु योजना की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी थी। उक्त निर्मित भवन के उपयोग हेतु विश्वविद्यालय द्वारा योजना प्रस्ताव समर्पित किया गया है। समर्पित योजना प्रस्ताव एवं तदनुसार प्रदान की जा रही रखी रखी राशि का विवरण निम्नवत् है-

Sl.No.	Particular	Estimated Amount	Approved Amount
1	Furnishing of Computer Lab.	15646800=00	15646800=00
2	Furnishing of Language Lab.	7183840=00	7183840=00
3	Furnishing of Library	3620974=00	3620974=00
4	Furnishing of Library-Cum-Reading Room	2844220=00	2844220=00
5	Furnishing of Smart Class Room	14742259=00	11793807=00
	Total:-	44038093=00	41089641=00
			Say Rs. 41089000=00

4 विश्वविद्यालय से प्राप्त प्रस्ताव के आलोक में डोरण्डा कॉलेज डोरण्डा में स्मार्ट क्लास रूम, पुस्तकालय एवं प्रयोगशाला के साज-सज्जा हेतु फर्नीचर एवं अन्य उपस्करों के अधिष्ठापन के लिए कुल रु० 4,10,89,000/- (चार करोड़ दस लाख नवासी हजार रुपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के विरुद्ध रु० 3,00,00,000/- (तीन करोड़ रुपये) मात्र की निकासी की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

5. वित्त विभाग के पत्रांक-3520 दिनांक 11.12.07 में प्रसंगाधीन मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड की अधिसूचना संख्या 301 दिनांक 11.03.2015 के आलोक में यह स्वीकृत्यादेश विभाग को प्रदत्त शक्ति के अधीन है।

6. इस मद में विगत वित्तीय वर्ष के पूर्व वर्ष में निकासी की गयी राशि की विवरणी-

स्वीकृत्यादेश संख्या एवं तिथि	निकासी की गई राशि	प्राप्त उपयोगिता प्रमाण पत्र की राशि
-------------------------------	-------------------	--------------------------------------

R-802  
12/6/19

## आवंटन आदेश

झारखण्ड सरकार

Higher, Technical Education and Skill Development Department (Higher Educ

2019-20 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है

संख्या -

1/YO.1-01/2016/188/BUDGET

दिनांक -

05-4

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 21 220203796B70678 2202 - सामान्य शिक्षा 03 - विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना  B7 - पुस्तकालय, प्रयोगशाला, कम्प्यूटर सेंटर, उद्यमशीलता विकास केन्द्रों की स्थापना तथा आई०सी०टी० इन्फ्रास्ट्रक्चर हेतु सहायता 06 - अनुदान 78 - पौँजी परिसम्पत्ति के सृजन हेतु अनुदान	24385	DRNEDN046  SRI BHAIYA RAJNISH RANJAN UNDER SECT.HIGHER EDU.DIR.JHA.	30,000,00  रुपये तीन


### State Scheme

State Scheme :

GRANT-IN-AID TO UNIVERSITIES FOR LIBRARY, LABORATORY, COMPUTER CENTERS,

Central Scheme :

ENTREPRENEURSHIP DEVELOPMENT CENTRE & ICT INFRASTRUCTURE(1630)





योग:

30,00,00,000.00

क्रमिक योग:

रुपये तीन करोड़

(DINESH PRASAD)

E-CHALLAN	
Receiving Dept:	Planning Cum Finance Dept, Government of Jharkhand Higher, Technical Education and Skill Development
Valid Up To :-	26/06/2019
GRN:-	1901390991
Receiving Office:-	RNCEDN462-REGISTRAR-RANCHI UNIVERSITY
District:-	Ranchi
Year:-	17/06/2019
Head@448	Deposit Treasury:- Ranchi
Head Details	To :- 17/06/2019
Ranchi University, Ranchi	Amount ₹ 30000000.00
 <b>Registrar</b> Ranchi University Ranchi 30000000.00	
Net Payable Amount:-	Three Crore Rupees And Zero Paise Only ₹ 30000000.00
Challan No and Date:	98 For Treasury Use Only(Ranchi)
	Identity Proof(TAN Number) - RCHR00146G PAN No. -
Remitter Name:-	RANCHI UNIVERSITY RANCHI NEAR SHAHID CHOWK, MAIN ROAD, RANCHI.RANCHI.834001
Address :-	
Remarks :-	
Treasury Officer Signature is not required.	
CHEQUE/DD :-	FOR USE IN TREASURY LINK BANK
Scroll No and (Date) :-	141325
Bank Name :-	SBI, RANCHI, COURT COMPOUND, RANCHI
Note:- Bank Official are requested to update the receipt Online before Stamping.	
 ₹ 30000000	
Use separate page , Cut from here	

*S. V. Verma*  
24/6/18

पत्रांक-3 / यो01-10/2016 (उ0शि0) (खण्ड-1) 187, वृंदा

ज्ञारखण्ड सरकार  
उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग  
(उच्च शिक्षा प्रभाग)

प्रेषक,

दिनेश प्रसाद,  
निदेशक, उच्च शिक्षा  
उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग,  
झारखण्ड, राँची।

सेवा में

अवर सचिव—सह—निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,  
उच्च शिक्षा निदेशालय,  
उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग,  
झारखण्ड, राँची।

विषय:-

वित्तीय वर्ष 2019-20 में राँची विश्वविद्यालय, राँची अंतर्गत के0 ओ0 कॉलेज, गुमला में निर्माणाधीन बहुदेशीय परीक्षा भवन के निर्माण हेतु रु0 9,74,45,000/- (नौ करोड़ चौहत्तर लाख पैंतालीस हजार) रूपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के विरुद्ध रु0 6,00,00,000/- (छ: करोड़ रूपये) मात्र के भुगतान हेतु आवंटन प्रदान करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि स्वीकृत्यादेश संख्या 159/बजट दिनांक 02.05.2019 एवं ऑनलाईन आवंटनादेश (छाया प्रति संलग्न) के आलोक में वित्तीय वर्ष 2019-20 में राँची विश्वविद्यालय, राँची अंतर्गत के0 ओ0 कॉलेज, गुमला में निर्माणाधीन बहुदेशीय परीक्षा भवन के निर्माण हेतु रु0 9,74,45,000/- (नौ करोड़ चौहत्तर लाख पैंतालीस हजार) रूपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के विरुद्ध रु0 6,00,00,000/- (छ: करोड़ रूपये) मात्र के भुगतान हेतु आवंटन प्रदान की जाती है।

2. उपर्युक्त राशि का विकलन वित्तीय वर्ष 2019-20 की राज्य स्कीम बजट के निम्नांकित शीर्ष :-

"मुख्य शीर्ष-2202—सामान्य शिक्षा, 03—विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा, 796—जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, B5-विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के आधारभूत संरचना का विकास हेतु सहायता अनुदान, 06—अनुदान, 78—पूँजी परिसम्पत्ति के सृजन हेतु अनुदान" के अन्तर्गत होगा। (विपत्र कोड-21S220203796B50678) (स्कीम कोड-1628)

3. स्वीकृत राशि की निकासी के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव, उच्च शिक्षा, उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग, झारखण्ड, राँची होंगे, जो सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, राँची से राशि की निकासी कर Book Transfer द्वारा अथवा बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से राँची विश्वविद्यालय, राँची के कुल सचिव को राशि उपलब्ध करायेंगे एवं कुल सचिव उक्त बैंक ड्राफ्ट को चालान के माध्यम से विश्वविद्यालय के लिए संधारित पी0 एल0 खाता संख्या-8448 में जमा करायेंगे।

4. राँची विश्वविद्यालय, राँची के कुल सचिव द्वारा योजना—सह—वित्त विभाग के सुसंगत आदेश एवं परिपत्रों तथा झारखण्ड कोषागार संहिता—2016 के नियम—339—344 के तहत राँची कोषागार में संचालित पी0 एल0 खाता संख्या—8448 से राशि की निकासी कर एक सप्ताह के अन्दर झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड को उपलब्ध करा दी जायेगी।

*F.O./C.C.D.E.*

*51619*

राँची, दिनांक : 09.05.2019

5. व्यय उपरान्त स्वीकृत राशि का उपयोगिता प्रमाण—पत्र महालेखाकार झारखण्ड एवं विभाग को ससमय उपलब्ध कराया जाय।

6. महालेखाकार का कार्यालय, अंकेक्षण/वित्त (अंकेक्षण) विभाग को विमुक्त एवं निकासी की गई राशि का अंकेक्षण का अधिकार होगा।

7. झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 174 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

8. स्वीकृत्यादेश संख्या 159/बजट दिनांक 02.05.2019 में निहित शर्तों एवं निदेशों का अक्षरशः पालन किया जायेगा।  
अनुलग्नक— यथोक्त।

विश्वासभाजन,

ह0/-

(दिनेश प्रसाद)

निदेशक, उच्च शिक्षा।

ज्ञापांक-3/ यो01-10/2016 (उ0शि0) (खण्ड-1) ..... / रॉची, दिनांक—..... /

प्रतिलिपि:- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, रॉची/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, रॉची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/-

(दिनेश प्रसाद)

निदेशक, उच्च शिक्षा।

ज्ञापांक-3/ यो01-10/2016 (उ0शि0) (खण्ड-1) ..... / रॉची, दिनांक—09.05.2019/

प्रतिलिपि:- विभागीय सचिव के प्रधान आप्त सचिव/प्रबंध निदेशक, झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, रॉची/निदेशक, उच्च शिक्षा के प्रधान आप्त सचिव/ कुलसचिव, रॉची विश्वविद्यालय, रॉची / लेखा शाखा, उच्च शिक्षा, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, झारखण्ड, रॉची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

१८७। बृहत्  
(दिनेश प्रसाद)

निदेशक, उच्च शिक्षा।

## आवंटन आदेश

### झारखण्ड सरकार

Higher, Technical Education and Skill Development Department (Higher Educ

वार्‌ता वित्तीय वर्ष 2019-20 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है।

पत्र संख्या - 3/YO.1-10/2016/187/BUDGET

दिनांक -

09-May-16

क्रमांक	विपत्र कोड	एकसेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 21 220203796B50678 2202 - सामान्य शिक्षा 03 - विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना B5 - विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के आधारभूत संरचना का विकास हेतु सहायता अनुदान 06 - अनुदान 78 - धौंगी परिसम्पत्ति के सृजन हेतु अनुदान	24372	DRNEDN046  SRI BHAIYA RAJNISH RANJAN UNDER SECT.HIGHER EDU.DIR.JHA.	60,000,000.00  रुपये छ: करोड

#### **State Scheme**

State Scheme : GRANT IN AID TO UNIVERSITIES AND EXISTING COLLEGE FOR INFRASTRUCTURE  
Central Scheme : DEVELOPMENT(1628)

योग:

60,000,000.00

क्रमिक योग:

रुपये छ: करोड

JTC Form-4  
[See Rule 45]  
(Obverse)

Challan No.: .....

Treasury: Ranchi

Major Head	8448-Deposits of Local Funds	Treasury Code	RNC
Sub Major Head	00-Deposits of Local Funds	DDO Code	RNCBLD111
Minor Head	120-Other Funds	Bank Code	0000167
Sub Head	15- <i>B/ANB - 13 18/8/19</i>		

Challan of cash into the State Bank of India at .....

To be filled by the Remitter			To be filled in by the Departmental Officer of the Treasury		
By whom tendered	Name (or designation) and address of the person on whose behalf money is paid	Full particulars of the remittance and of Authority (if any)	Amounts	Head of Account	Order of the Bank
Name .....	DR AMAR KUMAR CHAUDHARY (RNCEDN462) REGISTRAR RANCHI UNIVERSITY	construction of multi purpose exam hall of K.O.C.o	60000000	844800120156102 Allowance	Signature and full designation of the officer ordering the money to be paid in.
Sign .....					<i>Ranchi University, Ranchi</i>
*(in words)Rupees Six Crore/- Only			*To be used only in the case of remittances to the Bank through Departmental Officer or the Treasury Officer.		

Received Payment .....

Treasurer

Accountant

Date .....

Treasury Officer

Agent or Manager

Note 1: In the case of payments at the Treasury, receipts for the sums less than Rs.100,000/- do not require the signature of the Treasury Officer, but only of the Accountant and the Treasurer.

Note 2: Particulars of money tendered should be given on the reverse.

Note 3: In cases where direct credits at the Bank are permissible, the column "Head of Account" will be filled in by the Treasury Officer or the Accountant-General as the case may be, on the receipt of Bank's Daily Sheet.

~~Govt. Verf~~ ~~20/07/2019~~  
पत्रांक :— 5 / यो.1-45 / 2015 (उ०शि०) 259 | बजट,

झारखण्ड सरकार  
उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग  
(उच्च शिक्षा प्रभाग)

प्रेषक,

~~C.C.O./F.O.~~

दिनेश प्रसाद,  
निदेशक, उच्च शिक्षा,  
उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग  
झारखण्ड, रॉची।

सेवा में,

*M.K.J*  
24.7.19

अवर सचिव—सह—निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी(उच्च शिक्षा),  
उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग,  
झारखण्ड, रॉची।

विषयः—

वित्तीय वर्ष 2019–20 में रॉची विश्वविद्यालय, रॉची अंतर्गत लोहरदगा जिला में  
महिला महाविद्यालय की स्थापना हेतु रु0 9,18,31,000/- (नौ करोड़ अठारह  
लाख एकतीस हजार) रूपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के विरुद्ध द्वितीय  
किस्त के रूप में रु0 6,00,00,000/- (छ: करोड़ रुपये) मात्र का आवंटन  
प्रदान करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि स्वीकृत्यादेश संख्या 256/बजट दिनांक 02.07.2019 तथा ऑनलाईन आवंटनादेश (छाया प्रति संलग्न) के आलोक में वित्तीय वर्ष 2019–20 में रॉची विश्वविद्यालय, रॉची अंतर्गत लोहरदगा जिला में महिला महाविद्यालय की स्थापना हेतु रु0 9,18,31,000/- (नौ करोड़ अठारह लाख एकतीस हजार) रूपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के विरुद्ध द्वितीय किस्त के रूप में रु0 6,00,00,000/- (छ: करोड़ रुपये) मात्र के भुगतान हेतु आवंटन प्रदान की जाती है।

2. उपर्युक्त राशि का विकलन वित्तीय वर्ष 2019–20 के राज्य स्कीम बजट के निम्नांकित शीर्ष— “मुख्य शीर्ष—2202, उप मुख्य शीर्ष—03—विश्वविद्यालय एवं उच्चतर शिक्षा, लघुशीर्ष—796—जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, उपशीर्ष—BA- नये विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के आधारभूत संरचना का विकास हेतु सहायता अनुदान, विस्तृत शीर्ष—06— अनुदान, 78—पूँजी परिसम्पत्ति के सृजन हेतु अनुदान के अंतर्गत होगा। विषय कोड— 21S220203796BA0678 (स्कीम कोड—1633)

3. स्वीकृत राशि की निकासी के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव, उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग, झारखण्ड, रॉची होंगे, जो संविवालय कोषागार, डोरण्डा, रॉची से राशि की निकासी कर Book Transfer, बैंक ड्राफ्ट अथवा योजना—सह—वित्त विभाग द्वारा निर्गत किये गये प्रासांगिक आदेश में विहित माध्यम द्वारा रॉची विश्वविद्यालय, रॉची के कुलसचिव को राशि उपलब्ध करायेंगे एवं कुलसचिव उक्त बैंक ड्राफ्ट को चालान के माध्यम से विश्वविद्यालय के लिए संचालित पी० एल० खाता संख्या—8448 में जमा करायेंगे।

4. रॉची विश्वविद्यालय, रॉची के कुलसचिव द्वारा योजना—सह—वित्त विभाग के सुसंगत आदेश एवं परिपत्रों तथा झारखण्ड कोषागार संहिता—2016 के नियम— 339—344 के तहत रॉची कोषागार में संचालित पी० एल० खाता संख्या—8448 से एक सप्ताह के अंदर झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, रॉची के पी० एल० खाता में राशि अंतरित की जायेगी।

5. स्वीकृत्यादेश संख्या 256/बजट दिनांक 02.07.2019 की अन्य शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

6. व्यय उपरान्त स्वीकृत राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र महालेखाकार झारखण्ड एवं विभाग को सम्मय उपलब्ध कराया जाय।

7. महालेखाकार का कार्यालय, अंकेक्षण/वित्त (अंकेक्षण) विभाग को विमुक्त एवं निकासी की गई राशि के अंकेक्षण का अधिकार होगा।

8. झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 174 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

विश्वविद्यालय,

*म.उ.उ.उ.*  
मनोज उपाधीन

२२/७/२०१९

२०२०

ज्ञापांक-5 / यो.1-45 / 2015 (उ०शि०) ..... / रॅची, दिनांक- 03।०३।/2019  
प्रतिलिपि – कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, रॅची/कोषागार  
पदाधिकारी, जिला कोषागार, रॅची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

७३५॥१

(दिनेश प्रसाद)

निदेशक, उच्च शिक्षा।

ज्ञापांक-5 / यो.1-45 / 2015 (उ०शि०) ..... / रॅची, दिनांक- 03।०३।/2019  
प्रतिलिपि – विभागीय सचिव के प्रधान आप्त सचिव/प्रबंध निदेशक, झारखण्ड राज्य भवन  
निर्माण निगम लिमिटेड, रॅची/निदेशक, उच्च शिक्षा के प्रधान आप्त सचिव/कुलसचिव, रॅची  
विश्वविद्यालय, रॅची / लेखा शाखा, उच्च शिक्षा, उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग को  
सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

७३५॥२

(दिनेश प्रसाद)

निदेशक, उच्च शिक्षा।

७३५॥३

(संजीव कु० ठाकुर)  
सहायक प्र० पदाधिकारी

७३५॥४

(अजय कु० सिंह)  
अवर सचिव

७३५॥५

(दिगेश्वर सिंवारी)  
अपर सचिव



गोपनीय सरकार

आवंटन आदेश

झारखण्ड सरकार

Higher, Technical Education and Skill Development Department (Higher Educ

चालू वित्तीय वर्ष

2019-20 में व्यय हेतु मिन्हांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामग्रे अंकित राशि आवंटित की जाती हैं

दिनांक -

05-Jul-2

पत्र संख्या - 5/YO.1-45/2015/266/BUDGET

क्रमांक	विषय कोड	एकसेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 21 220203796BA0678	39162	DRNEDN046	60,000,000.00
	2202 - माध्यात्म्य शिक्षा			
	03 - विश्वविद्यालय नया उच्चतर शिक्षा			
	796 - जनजातीय क्षेत्र उत्तराखण्ड			
	BA, नये विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के आधारभूत संरचना का विकास हेतु सहायता अनुदान			
	06 - अनुदान			
	78 - राज्यीय परिस्थिति के मूलत हेतु अनुदान			
	State Scheme			
	State Scheme :	GRANT IN AID FOR INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT OF NEW COLLEGES AND		
	Central Scheme :	UNIVERSITIES(1633)		



योग:

क्रमिक योग:

रुपये इकाई: करोड़

(DINESH PRASAD)

DIRECTOR, HIGHER EDUCATION

Run Date: 5/7/2019

JTC Form-4

[See Rule 45]

(Obverse)

Challan No.:

Treasury.: Ranchi

Major Head	8448-Deposits of Local Funds	Treasury Code	RNC
Sub Major Head	00-Deposits of Local Funds	DDO Code	RNCBLD111
Minor Head	120-Other Funds	Bank Code	0000167
Sub Head	15-	BKT NO - 4 3/10/1992	

Challan of cash into the State Bank of India at .....

To be filled by the Remitter			To be filled in by the Departmental Officer of the Treasury		
By whom tendered	Name (or designation) and address of the person on whose behalf money is paid	Full particulars of the remittance and of Authority (if any)	Amounts	Head of Account	Order of the Bank
Name .....	DR AMAR KUMAR CHAUDHARY (RNCECDN462) REGISTRAR RANCHI UNIVERSITY	CONSTRUCTION OF WORK OF LOHARDAGA	60000000	844800120150102 02-Dearness Allowance	Signature and full designation of the officer ordering the money <b>Registrar</b> <b>Ranchi University, Ranchi</b>
Sign .....	* (in words) Rupees Six Crore/- Only			*To be used only in the case of remittances to the Bank through Departmental Officer or the Treasury Officer.	

Received Payment

*3/10/92* ..... Date .....

Treasurer

Treasury Officer

Accountant

Agent or Manager

*3/10/92*

Note 1: In the case of payments at the Treasury, receipts for the sums less than Rs. 100,000/- do not require the signature of the Treasury Officer, but only of the Accountant and the Treasurer.

Note 2: Particulars of money tendered should be given on the reverse.

Note 3: In cases where direct credits at the Bank are permissible, the column "Head of Account" will be filled in by the Treasury Officer or the Accountant-General as the case may be, on the receipt of Bank's Daily Sheet.

~~Govt. of India  
Ministry of~~  
~~Education~~

पत्रांक :- 1/ यो. 1-05/2016 (उद्दिश्य) 255, काट

झारखण्ड सरकार

उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग  
(उच्च शिक्षा प्रभाग)

१७८/१९

प्रेषक,

दिनेश प्रसाद,  
निदेशक, उच्च शिक्षा,  
उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग  
झारखण्ड, रॉची।

सेवा में,

अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी(उच्च शिक्षा),  
उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग,  
झारखण्ड, रॉची।

F.O  
१८.५.१९

विषय:-

वित्तीय वर्ष 2019-20 में रॉची विश्वविद्यालय, रॉची अंतर्गत सिमड़ेगा जिला में महिला महाविद्यालय की स्थापना हेतु रु 9,18,31,000/- (नौ करोड़ अठारह लाख एकतीस हजार) रूपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के विरुद्ध तृतीय किस्त के रूप में रु 2,36,77,000/- (दो करोड़ छत्तीस लाख सतहत्तर हजार रूपये) मात्र का आवंटन प्रदान करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि स्वीकृत्यादेश संख्या 210/बजट दिनांक 10.06.2019 तथा ऑनलाइन आवंटनादेश (छोया प्रति संलग्न) के आलोक में वित्तीय वर्ष 2019-20 में रॉची विश्वविद्यालय, रॉची अंतर्गत सिमड़ेगा जिला में महिला महाविद्यालय की स्थापना हेतु रु 9,18,31,000/- (नौ करोड़ अठारह लाख एकतीस हजार) रूपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के विरुद्ध तृतीय किस्त के रूप में रु 2,36,77,000/- (दो करोड़ छत्तीस लाख सतहत्तर हजार रूपये) मात्र के भुगतान हेतु आवंटन प्रदान की जाती है।

2. उपर्युक्त राशि का विकलन वित्तीय वर्ष 2019-20 के राज्य स्कीम बजट के निम्नांकित शीर्ष— "मुख्य शीर्ष-2202, उप मुख्य शीर्ष-03-विश्वविद्यालय एवं उच्चतर शिक्षा, लघुशीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, उपशीर्ष-BA- नये विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के आधारभूत संरचना का विकास हेतु सहायता अनुदान, विस्तृत शीर्ष-06- अनुदान, 78-पूँजी परिसम्पत्ति के सृजन हेतु अनुदान के अंतर्गत होगा। विपत्र कोड- 21S220203796BA0678 (स्कीम कोड-1633)

3. स्वीकृत राशि की निकासी के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव, उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग, झारखण्ड, रॉची होंगे, जो सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, रॉची से राशि की निकासी कर Book Transfer, बैंक ड्राफ्ट अथवा योजना-सह-वित्त विभाग द्वारा निर्गत किये गये प्रासंगिक आदेश में विहित माध्यम द्वारा रॉची विश्वविद्यालय, रॉची के कुलसचिव को राशि उपलब्ध करायेंगे एवं कुलसचिव उक्त बैंक ड्राफ्ट को चालान के माध्यम से विश्वविद्यालय के लिए संचालित पी० एल० खाता संख्या-8448 में जमा करायेंगे।

4. रॉची विश्वविद्यालय, रॉची के कुलसचिव द्वारा योजना-सह-वित्त विभाग के सुसंगत आदेश एवं परिपत्रों तथा झारखण्ड कोषागार संहिता-2016 के नियम- 339-344 के तहत रॉची कोषागार में संचालित पी० एल० खाता संख्या-8448 से एक सप्ताह के अंदर झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, रॉची के पी० एल० खाता में राशि अंतरित की जायेगी।

5. स्वीकृत्यादेश संख्या 210/बजट दिनांक 10.06.2019 की अन्य शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

6. व्यय उपरान्त स्वीकृत राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र महालेखाकार झारखण्ड एवं विभाग को सम्मत उपलब्ध कराया जाय।

7. महालेखाकार का कार्यालय, अंकेक्षण/वित्त (अंकेक्षण) विभाग को विमुक्त एवं निकासी की गई राशि के अंकेक्षण का अधिकार होगा।

8. झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 174 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

विश्वासभान,

८०/-

968/

१०९/


ज्ञापांक-1 / यो. 1-05 / 2016 (उ०शि०) ..... / रॉची, दिनांक- ..... / 2019  
प्रतिलिपि – कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, रॉची / कोषागार  
पदाधिकारी, जिला कोषागार, रॉची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/-

(दिनेश प्रसाद)

निदेशक, उच्च शिक्षा।

ज्ञापांक-1 / यो. 1-05 / 2016 (उ०शि०) ..... / रॉची, दिनांक- ..... / 2019  
प्रतिलिपि – विभागीय सचिव के प्रधान आप्त सचिव / प्रबंध निदेशक, झारखण्ड राज्य भवन  
निर्माण निगम लिमिटेड, रॉची / निदेशक, उच्च शिक्षा के प्रधान आप्त सचिव / कुक्सचिव, रॉची  
विश्वविद्यालय, रॉची / अवर सचिव – सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी (उच्च शिक्षा) / लेखा शाखा, उच्च  
शिक्षा, उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

  
(दिनेश प्रसाद)

निदेशक, उच्च शिक्षा।



## आवंटन आदेश

### झारखण्ड सरकार

Higher, Technical Education and Skill Development Department (Higher Educ

चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है।

पत्र संख्या - 1/YO.1-05/2016/255/BUDGET

दिनांक -

02-Jul-2

क्रमांक	चिपत्र कोड	एकसेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 21 220203796BA0678 2202 - सामान्य शिक्षा 03 - विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा 796 - जनजातीय क्षेत्र उपर्योजना BA - नवे विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के आधारभूत संरचना फा विकास हेतु सहायता अनुदान 06 - अनुदान 78 - पौर्जी परिसम्पत्ति के सृजन हेतु अनुदान State Scheme	38994	DRNEDN046 SRI BHAIYA RAJNISH RANJAN UNDER SECT.HIGHER EDU.DIR.JHA.	23,677,000.00 रुपये दो करोड छत्तीस लाख सियोलर हजार

State Scheme : GRANT IN AID FOR INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT OF NEW COLLEGES AND  
Central Scheme UNIVERSITIES(1533)

23,677,000.00

रुपये दो करोड छत्तीस लाख सियोलर हजार

(DINESH PRASAD)

DIRECTOR, HIGHER EDUCATION

Page - 1

Run Date: 27/7/2019

JTC Form-4

[See Rule 45]

(Obverse)

Challan No.: .....

Treasury.: Ranchi

Major Head	8448-Deposits of Local Funds	Treasury Code	RNC
Sub Major Head	00-Deposits of Local Funds	DDO Code	RNCBLD111
Minor Head	120-Other Funds	Bank Code	0000167
Sub Head	15-		

*18/11/16 - 5  
3/10/17*

Challan of cash into the State Bank of India at .....

To be filled by the Remitter			To be filled in by the Departmental Officer of the Treasury		
By whom tendered	Name (or designation) and address of the person on whose behalf money is paid	Full particulars of the remittance and of Authority (if any)	Amounts	Head of Account	Order of the Bank
Name .....	DR AMAR KUMAR CHAUDHARY (RNCEDN462) REGISTRAR RANCHI UNIVERSITY	FOR CONSTRUCTION WORK OF SIMDEGA DISTRICT	23677000	844800120150102 02-Dearness Allowance	Signature and full designation of the officer ordering the money to be paid
Sign .....					Ranchi
*(in words)Rupees Two Crore Thirty Six Lacs Seventy Seven Thousand/- Only			*To be used only in the case of remittances to the Bank through Departmental Officer or the Treasury Officer.		

Received Payment

*20/11/16* .....

Date .....

Treasurer

Accountant



Treasury Officer

Agent or Manager

Note 1:In the case of payments at the Treasury, receipts for the sums less than Rs.100,000/- do not require the signature of the Treasury Officer, but only of the Accountant and the Treasurer.


Note 2:Particulars of money tendered should be given on the reverse.

Note 3:In cases where direct credits at the Bank are permissible, the column "Head of Account" will be filled in by the Treasury Officer or the Accountant-General as the case may be, on the receipt of Bank's Daily Sheet.

E-CHALLAN	
Planning Cum Finance Dept, Government of Jharkhand	
Receiving Dept:-	Higher, Technical Education and Skill Development Department (Higher Education Division)
Valid UpTo :-	04/10/2019
Date:-	25/09/2019 15:59:19
GRN-1902313484	
Receiving Office:-	RNCEDN462-REGISTRAR-RANCHI UNIVERSITY
District:-	Ranchi
Year:-	25/09/2019
Head(8448)	Head Details
	844800120150101
	23677000.00
Ranchi University, Ranchi	
	
Net Payable Amount:-	₹ 23677000.00
Two Crore Thirty Six Lakh Seventy Seven Thousand Rupees And Zero Paise Only	
Paisa Only	
For Treasury Use Only(Ranchi)	
Challan No and Date:	369 25/09/2019
Identity Proof(TAN Number) - RCHR00146G	
PAN No.-	
Remitter Name:-	RANCHI UNIVERSITY RANCHI
Address :-	NEAR SHAHID CHOWK, MAIN ROAD, RANCHI RANCHI 834001
Remarks :-	Treasury Officer Signature is not required.
<b>FOR USE IN TREASURY LINK BANK</b>	
CHEQUE/DD :-	143879
Bank Name :-SBI,RANCHI,COURT COMPOUND,RANCHI	
Note:- Bank Official are requested to update the receipt Online before Stamping.	
	

Use separate page

Cut from here

E-CHALLAN	
Planning Cum Finance Dept, Government of Jharkhand	
Receiving Dept:	Higher, Technical Education and Skill Development Department (Higher Education Division)
Valid UpTo :-	04/10/2019
Date:-	25/09/2019 15:59:19
GRN-1902313484	
Receiving Office :-	RNCEDN462-REGISTRAR-RANCHI UNIVERSITY
District :-	Ranchi
Year -25/09/2019	
Head(8448)	Head Details
	844800120150101
	23677000.00
Ranchi University, Ranchi	
	
Net Payable Amount:-	₹ 23677000.00
Two Crore Thirty Six Lakh Seventy Seven Thousand Rupees And Zero Paisa Only	
Paisa Only	
For Treasury Use Only(Ranchi)	
Challan No and Date:	369 25/09/2019
Identity Proof(TAN Number) - RCHR00146G	
PAN No:-	
Remitter Name:-	RANCHI UNIVERSITY RANCHI
Address :-	NEAR SHAHID CHOWK, MAIN ROAD, RANCHI RANCHI 834001
Remarks :-	Treasury Officer Signature is not required.
<b>FOR USE IN TREASURY LINK BANK</b>	
CHEQUE/DD :-	143879
Bank Name :-SBI,RANCHI,COURT COMPOUND,RANCHI	
Note:- Bank Official are requested to update the receipt Online before Stamping.	
	

*Govt. Informa*  
उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग  
(उच्च शिक्षा प्रभाग)

36.2/945

RC  
16/11/19

प्रेषक,

सेवा में,

निदेशक, उच्च शिक्षा।

विषय:-

महाराष्ट्र,

अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी(उच्च शिक्षा),

उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग,

झारखण्ड, रोची।

रोची, दिनांक 07/11/2019

वित्तीय वर्ष 2019-20 में रोची विश्वविद्यालय, रोची अंतर्गत गुमला जिला में महिला महाविद्यालय की स्थापना हेतु रु 9,18,31,50/- (नौ करोड़ अठठारह लाख एकतीस हजार) रुपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के विरुद्ध द्वितीय किस्त के रूप में रु 6,00,00,000/- (छः करोड़ रुपये) मात्र के भुगतान हेतु आवंटन प्रदान करने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि स्वीकृत्यादेश संख्या 357/बजट दिनांक 25.10.2019 के आलोक में वित्तीय वर्ष 2019-20 में रोची विश्वविद्यालय, रोची अंतर्गत गुमला जिला में महिला महाविद्यालय जी स्थापना हेतु रु 9,18,31,000/- (नौ करोड़ अठठारह लाख एकतीस हजार) रुपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के विरुद्ध द्वितीय किस्त के रूप में रु 6,00,00,000/- (छः करोड़ रुपये) मात्र के भुगतान हेतु आवंटन प्रदान की जाती है।

2. उपर्युक्त राशि का विकलन वित्तीय वर्ष 2019-20 की निम्नांकित शीर्ष :-

"मुख्य शीर्ष-2202, उप मुख्य शीर्ष-03-विश्वविद्यालय एवं उच्चतर शिक्षा, लघुशीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, उपशीर्ष-BA- नये विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के आधारभूत संरचना का विकास हेतु सहायता अनुदान, विस्तृत शीर्ष-06- अनुदान, 78-पूँजी परिसम्पत्ति के सृजन हेतु अनुदान। विपत्र कोड- 21S220203796BA0678 (स्कीम कोड-1633) के अंतर्गत होगा।

3. स्वीकृत राशि की निकासी के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव, उच्च शिक्षा, उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग, झारखण्ड, रोची होंगे, जो सविवालय कोषागार, डोरण्डा, रोची से राशि की निकासी कर Book Transfer, बैंक ड्राफ्ट अथवा योजना-सह-वित्त विभाग द्वारा निर्गत प्रासंगिक आदेश में विहित नाम्यम द्वारा रोची विश्वविद्यालय, रोची के कुलसंचिव को राशि उपलब्ध करायेंगे एवं कुलसंचिव उक्त बैंक ड्राफ्ट को आलान के माध्यम से विश्वविद्यालय के लिए संचालित पी० एल० खाता संख्या-8448 में जमा करायेंगे।

4. रोची विश्वविद्यालय, रोची के कुलसंचिव द्वारा योजना-सह-वित्त विभाग के सुसंगत आदेश एवं परिपत्रों तथा झारखण्ड कोषागार सहित-2016 के नियम- 339-344 के तहत रोची कोषागार में संचालित पी० एल० खाता संख्या-8448 से एक सप्ताह के अन्दर झारखण्ड राज्य भवन निर्माण लिमिटेड के पी० एल० खाता में राशि अंतरित कर दी जायेगी।

5. व्यय उपरान्त स्वीकृत राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र महालेखाकार झारखण्ड एवं विभाग को ससमय उपलब्ध कराया जाय।

6. महालेखाकार का कार्यालय, अंकेक्षण/वित्त (अंकेक्षण) विभाग को विमुक्त एवं निकासी की गई राशि के अंकेक्षण का अधिकार होगा।

7. स्वीकृत्यादेश संख्या 357/बजट दिनांक 25.10.2019 की अन्य शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

8. स्वीकृत राशि की निकासी हेतु तैयार विपत्र पर श्री दिगेशवर तिवारी, अपर सचिव, उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग द्वारा प्रतिहस्ताक्षर किया जायेगा।

विश्वासमीजन,

36.2/945  
(सुशांत गोरव)

निदेशक, उच्च शिक्षा।

झापंक-5/यो01-33/2015 (उ०शि०) 362/945/रोची, दिनांक- 07/11/2019

प्रतिलिपि - कोषागार पदाधिकारी, सविवालय कोषागार, डोरण्डा, रोची/कोषागार

पदाधिकारी, जिला कोषागार, रोची/विभागीय प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक, उच्च शिक्षा के प्रधान आप्त सचिव/कुलसंचिव, रोची विश्वविद्यालय, रोची/सेवा शाखा, उच्च शिक्षा, उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग को सूचनार्थ एवं आदश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

36.2/945  
(सुशांत गोरव)

निदेशक, उच्च शिक्षा।

R.34C  
16/11/19



## आवंटन आदेश

### झारखण्ड सरकार

Higher, Technical Education and Skill Development Department (Higher Edu)

चालू वित्तीय वर्ष  
2019-20 में व्यय हेतु निम्नान्कित दस्तीर गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है।


पत्र संख्या - 3/YO.1-33/2015/362/BUDGET

दिनांक -

07-Nov-2

क्रमांक	विषय कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 21 220203796BA0678 2202 - सामाजिक शिक्षा 03 - विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना BA - नये विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के आधारभूत संरचना का विकास हेतु सहायता अनुदान 06 - अनुदान 78 - पौर्जी परिसम्पत्ति के सृजन हेतु अनुदान State Scheme	72122	DRNEDN046 SRI BHAIYA RAJNISH RANJAN UNDER SECT.HIGHER EDU.DIR.JHA.	60,000,000.00 रुपये छ: करोड

State Scheme : GRANT IN AID FOR INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT OF NEW COLLEGES AND  
Central Scheme : UNIVERSITIES(1633)



योग:	60,000,000.00
क्रमिक योग:	रुपये छ: करोड

*Surbhi Gaurav*

JTC Form-4  
[See Rule 45]  
(Obverse)

13/10/17  
24/2/2020

Treasury.: Ranchi

Challan No.: .....

Major Head	8448-Deposits of Local Funds	Treasury Code	RNC
Sub Major Head	00-Deposits of Local Funds	DDO Code	RNCBLLD111
Minor Head	120-Other Funds	Bank Code	0000167
Sub Head	15-		

Challan of cash into the State Bank of India at .....

To be filled by the Remitter			To be filled in by the Departmental Officer of the Treasury		
By whom tendered		Name (or designation) and address of the person on whose behalf maoney is paid	Full particulars of the remittance and of Authority (if any)	Amounts	Head of Account
Name	.....	DR.AMAR KUMAR CHOUDHARY (RNCEDN462) REGISTRAR RANCHI UNIVERSITY	CONSTRUCTION OF WOMENS COLLEGE GUMIA	60000000 Allowance	844800120150102 02-Dearness
Sign	.....				Signature and full designation of the officer ordering payment <b>Registrar Ranchi University, Ranchi</b>
*(in words)Rupees Six Crore/- Only			* To be used only in the case of remittances to the Bank through Departmental Officer or the Treasury Officer.		

Received Payment

24/2/2020

Date

Treasurer

Treasury Officer

Accountant

Agent or Manager

Note 1:In the case of payments at the Treasury, receipts for the sums less than Rs.100,000/- do not require the signature of the Treasury Officer, but only of the Accountant and the Treasurer.

Note 2:Particulars of money tendered should be given on the reverse.

Note 3:In cases where direct credits at the Bank are permissible, the column "Head of Account" will be filled in by the Treasury Officer or the Accountant-General as the case may be, on the receipt of Bank's Daily Sheet.



## E-CHALLAN

Planning Cum Finance Dept, Government of Jharkhand

Receiving Dept: Higher, Technical Education and Skill Development  
Department (Higher Education Division)Valid UpTo :- 01/12/2019 Date:- 22/11/2019 11:20:00  
GRN:-1902945547 Remitter's Copy of DeptReceiving Office:- RNCEDN462-REGISTRAR-RANCHI UNIVERSITY  
District:- Ranchi Year:- 22/11/2019 Head(8448)

Deposit Treasury:- Ranchi to :- 22/11/2019 Amount ₹ 6000000.00

Head Details Ranchi University, Ranchi

Remarks :- Treasury Officer Signature is not required.

## FOR USE IN TREASURY LINK BANK

145869

CHEQUE/DD :  
S/No and (Date) :  
Bank Name : SBI,RANCHI,COURT COMPOUND,RANCHI

Note:- Bank Official are requested to update the receipt Online before Stamping.

Signature &amp; Seal of Bank

Use seprate page

Cut from here



## E-CHALLAN

Planning Cum Finance Dept, Government of Jharkhand

Receiving Dept: Higher, Technical Education and Skill Development  
Department (Higher Education Division)Valid UpTo :- 01/12/2019 Date:- 22/11/2019 11:20:00  
GRN:-1902945547 Remitter's CopyReceiving Office:- RNCEDN462-REGISTRAR-RANCHI UNIVERSITY  
District:- Ranchi Year:- 22/11/2019 Head(8448)

Deposit Treasury:- Ranchi to :- 22/11/2019 Amount ₹ 6000000.00

Head Details Ranchi University, Ranchi

CHEQUE/DD :  
S/No and (Date) :  
Bank Name : SBI,RANCHI,COURT COMPOUND,RANCHI

Note:- Bank Official are requested to update the receipt Online before Stamping.

Signature &amp; Seal of Bank

Signature &amp; Seal of Bank

*Govt. of Maharashtra  
State Council of Educational  
Examination*

पत्रांक :- 1 / यो. 1-25 / 2016 (उ०शिं) 260/बजौर,

झारखण्ड सरकार

उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग  
(उच्च शिक्षा प्रभाग)

प्रेषक,

दिनेश प्रसाद,  
निदेशक, उच्च शिक्षा,  
उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग  
झारखण्ड, रॉची।

सेवा में,

अवर सचिव—सह—निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी(उच्च शिक्षा),  
उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग,  
झारखण्ड, रॉची।

विषय:-

*C.C.D.C./F.O*

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि स्वीकृत्यादेश संख्या 212/बजट दिनांक 10.06.2019 तथा ऑनलाइन आवंटनादेश (छाया प्रति संलग्न) के आलोक में रॉची विश्वविद्यालय, रॉची अंतर्गत तोरपा विधानसभा क्षेत्र में डिग्री स्तरीय महाविद्यालय की स्थापना हेतु ₹ 0 15,76,99,600/- (पन्द्रह करोड़ छिह्न्तर लाख निन्यानवे हजार छ: सौ) रूपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के विरुद्ध वित्तीय वर्ष 2019–20 में ₹ 0 5,00,00,000/- (पाँच करोड़ रूपये) मात्र का आवंटन प्रदान करने के संबंध में।

2. उपर्युक्त राशि का विकलन वित्तीय वर्ष 2019–20 के राज्य स्कीम बजट के निम्नांकित शीर्ष— "मुख्य शीर्ष—2202, उप मुख्य शीर्ष—03—विश्वविद्यालय एवं उच्चतर शिक्षा, लघुशीर्ष—796—जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, उपशीर्ष—BA- नये विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के आधारभूत संरचना का विकास हेतु सहायता अनुदान, विस्तृत शीर्ष—06— अनुदान, 78—पूँजी परिसम्पत्ति के सृजन हेतु अनुदान के अंतर्गत होगा। विपत्र कोड— 21S220203796BA0678 (स्कीम कोड—1633)

3. स्वीकृत राशि की निकासी के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव, उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग, झारखण्ड, रॉची होंगे, जो सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, रॉची से राशि की निकासी कर Book Transfer, बैंक ड्राफ्ट अथवा योजना—सह—वित्त विभाग द्वारा निर्गत किये गये प्रासंगिक आदेश में विहित माध्यम द्वारा रॉची विश्वविद्यालय, रॉची के कुलसचिव को राशि उपलब्ध करायेंगे एवं कुलसचिव उक्त बैंक ड्राफ्ट को चालान के माध्यम से विश्वविद्यालय के लिए संचालित पी० एल० खाता संख्या—8448 में जमा करायेंगे।

4. रॉची विश्वविद्यालय, रॉची के कुलसचिव द्वारा योजना—सह—वित्त विभाग के सुसंगत आदेश एवं परिपत्रों तथा झारखण्ड कोषागार संहिता—2016 के नियम— 339—344 के तहत रॉची कोषागार में संचालित पी० एल० खाता संख्या—8448 से एक सप्ताह के अंदर झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, रॉची के पी० एल० खाता में राशि अंतरित की जायेगी।

5. स्वीकृत्यादेश संख्या 212/बजट दिनांक 10.06.2019 की अन्य शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

6. व्यय उपरान्त स्वीकृत राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र महालेखाकार झारखण्ड एवं विभाग को ससमय उपलब्ध कराया जाय।

7. महालेखाकार का कार्यालय, अंकेक्षण/वित्त (अंकेक्षण) विभाग को विमुक्त एवं निकासी की गई राशि के अंकेक्षण का अधिकार होगा।

8. झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 174 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

विश्वासभाजन,

*दिनेश प्रसाद*  
(दिनेश प्रसाद)  
निदेशक, उच्च शिक्षा।

*R-203  
25/9/19*

RC  
23/11/19

- 2 -

२६०। विषय

ज्ञापाक-1 / यो. 1-25/2016 (उ०शि०) ..... / रॉची, दिनांक- ०३।०३।१९१९  
प्रतिलिपि - कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, रॉची / कोषागार  
पदाधिकारी, जिला कोषागार, रॉची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

२३।०३।१९१९

(दिनेश प्रसाद)

निदेशक, उच्च शिक्षा।

२६०। विषय

ज्ञापाक-1 / यो. 1-25/2016 (उ०शि०) ..... / रॉची, दिनांक- ०३।०३।१९१९  
प्रतिलिपि - विभागीय सचिव के प्रधान आप्त सचिव/प्रबंध निदेशक, झारखण्ड राज्य भवन  
निर्माण निगम लिमिटेड, रॉची/निदेशक, उच्च शिक्षा के प्रधान आप्त सचिव/कुलसचिव, रॉची  
विश्वविद्यालय, रॉची / लेखा शाखा, उच्च शिक्षा, उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग को  
सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

२३।०३।१९१९

(दिनेश प्रसाद)

निदेशक, उच्च शिक्षा।

२३।०३।१९१९  
(संजीव कु० ठाकुर)  
सहायक प्र० पदाधिकारी

२३।०३।१९१९  
(अजय कु० सिंह)  
अवर सचिव

२३।०३।१९१९  
(दिगेश्वर तिवारी)  
अपर सचिव

JTC Form-4

[See Rule 45]

(Obverse)

Challan No.: .....

Treasury.: Ranchi

Major Head	8448-Deposits of Local Funds	Treasury Code	RNC
Sub Major Head	00-Deposits of Local Funds	DDO Code	RNCBLD111
Minor Head	120-Other Funds	Bank Code	0000167
Sub Head	15- <i>B/ENo 310119</i>		

Challan of cash into the State Bank of India at .....

To be filled by the Remitter			To be filled in by the Departmental Officer of the Treasury		
By whom tendered	Name (or designation) and address of the person on whose behalf maoney is paid	Full particulars of the remittance and of Authority (if any)	Amounts	Head of Account	Order of the Bank
Name .....	DR AMAR KUMAR CHAUDHARY (RNCEDN462) REGISTRAR RANCHI UNIVERSITY	FOR CONSTRUCTION WORK OF DEGREE COLLEGE GHAGRA	50000000	844800120150102 02-Dearness Allowance	<i>Signature and full designation of the officer ordering the money to be paid.</i> <i>Registrar Ranchi University, Ranchi</i>
Sign .....					

\*(in words)Rupees Five Crore/- Only

\*To be used only in the case of remittances to the Bank through Departmental Officer or the Treasury Officer.

Received Payment

Treasurer

*30/9/19*  
Accountant  
*30/9/19*

Date .....

Treasury Officer

Agent or Manager

Note 1: In the case of payments at the Treasury, receipts for the sums less than Rs.100,000/- do not require the signature of the Treasury Officer, but only of the Accountant and the Treasurer.

Note 2:Particulars of money tendered should be given on the reverse.

Note 3:In cases where direct credits at the Bank are permissible, the column "Head of Account" will be filled in by the Treasury Officer or the Accountant-General as the case may be, on the receipt of Bank's Daily Sheet.



गोपनीय सरकार

## आवंटन आदेश

झारखण्ड सरकार

Higher, Technical Education and Skill Development Department (Higher Education)

वार्षिक अंक वर्ष 2019-20 में व्यय हेतु बिस्मतावित दररोपे गए बजट शीर्ष के सामग्रे अंकित राशि आवंटित की जाती है।

वर्त संख्या - 1/Y.O. 1-25/2016/263/BUDGET

दिनांक -

05-Jul-2

अंकसंख्या	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 21 220203796BA0678 2202 - भासान्व शिक्षा 03 - विद्याविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा 796 - जनजातीय क्षेत्र उन्नयन BA - नवे विद्याविद्यालयों एवं नहान्विद्यालयों के आधारभूत मंजूरी का विकास हेतु जनजातीय उन्नयन 06 - अनुदान 78 - पौरी योरियमन्त्रिति के दृष्टन हेतु अनुदान State Scheme	39167	DRNEDN046 SRI BHAIYA RAJNISH RANJAN UNDER SECT.HIGHER EDU.DIR.JHA.	50,00,000.00 रुपये पाँच करोड़

State Scheme : GRANT IN AID FOR INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT OF NEW COLLEGES AND UNIVERSITIES(1633)

योग:

क्रमिक योग:

रुपये पाँच करोड़

(DINESH PRASAD)

50,00,000.00

DIRECTOR, HIGHER EDUCATION

**E-CHALLAN**

Planning Cum Finance Dept, Government of Jharkhand

Receiving Dept: Higher, Technical Education and Skill Development  
Department (Higher Education Division)

Valid UpTo :04/10/2019 Date:- 25/09/2019 15:40:51

**GRN:-1902313166**



**E-CHALLAN**

Planning Cum Finance Dept, Government of Jharkhand

Receiving Dept: Higher, Technical Education and Skill Development  
Department (Higher Education Division)

Valid UpTo :04/10/2019 Date:- 25/09/2019 15:40:51

**GRN:-1902313166**



Receiving Office:- RNCEDN462-REGISTRAR-RANCHI UNIVERSITY

District:- Ranchi  
Year:- 25/09/2019

Head(8448)	Amount	₹
Head Details Ranchi University, Ranchi	844800120150101 to :- 25/09/2019	5000000.00

Net Payable Amount:-  
Five Crore Rupees And Zero Paisa Only

Receiving Office :- RNCEDN462-REGISTRAR-RANCHI UNIVERSITY

District :- Ranchi  
Year -25/09/2019

Head(8448)	Amount	₹
Head Details Ranchi University, Ranchi	844800120150101 to:- 25/09/2019	5000000.00

Net Payable Amount:-  
Five Crore Rupees And Zero Paisa Only

For Treasury Use Only(Ranchi)

Challan No and Date: 366 25/09/2019

Identity Proof(TAN Number) - RCHR00146G

PAN No.-  
Remitter Name:-  
Address :-

RANCHI UNIVERSITY RANCHI  
NEAR SHAHID CHOWK, MAIN ROAD,  
RANCHI RANCHI 834001

Remarks :- Treasury Officer Signature is not required.

For Treasury Use Only(Ranchi)

Challan No and Date: 366 25/09/2019

Identity Proof(TAN Number) - RCHR00146G

PAN No:-  
Remitter Name:-  
Address :-

RANCHI UNIVERSITY RANCHI  
NEAR SHAHID CHOWK, MAIN ROAD,  
RANCHI RANCHI 834001

Remarks :- Treasury Officer Signature is not required.

FOR USE IN TREASURY LINK BANK

CHEQUE/DD :- 143875  
Scroll No and (Date) :-  
Bank Name :-SBI,RANCHI,COURT COMPOUND,RANCHI

Note:- Bank Official are requested to update the receipt Online before Stamping.

16 SEP 2019

16/09/2019 Choccochha Signature & Seal of Bank

FOR USE IN TREASURY LINK BANK

CHEQUE/DD :- 143875  
Scroll No and (Date) :-  
Bank Name :-SBI,RANCHI,COURT COMPOUND,RANCHI

Note:- Bank Official are requested to update the receipt Online before Stamping.

16 SEP 2019

16/09/2019 Choccochha Signature & Seal of Bank



## E-CHALLAN

Planning Cum Finance Dept, Government of Jharkhand  
Higher, Technical Education and Skill Development

Receiving Dept:-  
Higher, Technical Education and Skill Development  
Department (Higher Education Division)

Valid UpTo :- 15/05/2020

Date:- 06/05/2020 13:05:55

GRN:-2000970748



Receiving Office:- RNCEDN462-REGISTRAR-RANCHI UNIVERSITY

District:- Ranchi  
Year:- 06/05/2020

Deposit Treasury:- Ranchi  
to :- 06/05/2020

Head Details  
Ranchi University, Ranchi

Head(8448)  
Head Details  
Ranchi University, Ranchi

844800120150101  
605400.00

*Ranchi University, Ranchi*

605400.00

Net Payable Amount:- Ranchi University, Ranchi  
Six Lakh Five Thousand Four Hundred Rupees And Zero Paise Only

For Treasury Use Only(Ranchi)

Challan No and Date: 65 06/05/2020  
Identity Proof(TAN Number) - RCHR00146G  
PAN No:- NA  
Remitter Name:- RANCHI UNIVERSITY RANCHI  
Address :- NEAR SHAHID CHOWK, MAIN ROAD,  
RANCHI RANCHI 834001

Remarks :- Treasury Officer Signature is not required.

*Ranchi University, Ranchi*

605400.00

Net Payable Amount:-  
Six Lakh Five Thousand Four Hundred Rupees And Zero Paise Only

For Treasury Use Only(Ranchi)

Challan No and Date: 65 06/05/2020  
Identity Proof(TAN Number) - RCHR00146G  
PAN No:- NA  
Remitter Name:- RANCHI UNIVERSITY RANCHI  
Address :- NEAR SHAHID CHOWK, MAIN ROAD,  
RANCHI RANCHI 834001

Remarks :- Treasury Officer Signature is not required.

*RANCHI UNIVERSITY RANCHI*

*Ranchi University, Ranchi*

605400.00

FOR USE IN TREASURY LINK BANK

148017

CHEQUE/DD :-  
Scroll No and (Date) :- *148017 Payment Received*  
Bank Name :-SBI,RANCHI,COURT COMPOUND,RANCHI  
*11/5/20*

Note:- Bank Official are requested to update the receipt Online before Stamping.

Signature & Seal of Bank



Use seprate page

Cut from here



## E-CHALLAN

Planning Cum Finance Dept, Goverment of Jharkhand  
Higher, Technical Education and Skill Development

Receiving Dept:-  
Higher, Technical Education and Skill Development  
Department (Higher Education Division)

Valid UpTo :- 15/05/2020

Date:- 06/05/2020 13:05:55

GRN:-2000970748



Receiving Office:- RNCEDN462-REGISTRAR-RANCHI UNIVERSITY

District :- Ranchi  
Year:- 06/05/2020

Deposit Treasury:- Ranchi  
to :- 06/05/2020

Head Details  
Ranchi University, Ranchi

Head(8448)  
Head Details  
Ranchi University, Ranchi

844800120150101  
605400.00

*Ranchi University, Ranchi*

605400.00

Net Payable Amount:-  
Six Lakh Five Thousand Four Hundred Rupees And Zero Paise Only

For Treasury Use Only(Ranchi)

Challan No and Date: 65 06/05/2020  
Identity Proof(TAN Number) - RCHR00146G  
PAN No:- NA  
Remitter Name:- RANCHI UNIVERSITY RANCHI  
Address :- NEAR SHAHID CHOWK, MAIN ROAD,  
RANCHI RANCHI 834001

Remarks :- Treasury Officer Signature is not required.

*RANCHI UNIVERSITY RANCHI*

*Ranchi University, Ranchi*

605400.00

FOR USE IN TREASURY LINK BANK

148017

CHEQUE/DD :-  
Scroll No and (Date) :- *148017 Payment Received*  
Bank Name :-SBI,RANCHI,COURT COMPOUND,RANCHI  
*11/5/20*

Note:- Bank Official are requested to update the receipt Online before Stamping.

Signature & Seal of Bank

पत्रांक :- ५ / यो०१-३३ / २०१५ (उ०शि०) ३६।।७४।।८

ज्ञारखण्ड सरकार

उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग  
(उच्च शिक्षा प्रभाग)

३६।।७४।।८

सेवा में

प्रेषक,

निदेशक, उच्च शिक्षा ।

सेवा में

अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी(उच्च शिक्षा),  
उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग,  
ज्ञारखण्ड, रॉची।

विषय:-

वित्तीय वर्ष २०१९-२० में रॉची विश्वविद्यालय, रॉची अंतर्गत गुमला जिला में  
महिला महाविद्यालय में जलापूर्ति पाईप लाईन हेतु रु० ७६,६७,८२४/- (छिह्तर  
लाख सड़सठ हजार आठ सौ चौबीस रुपये) मात्र के भुगतान हेतु आवंटन प्रदान  
करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि स्वीकृत्यादेश संख्या ३५८/बजट दिनांक  
२५.१०.२०१९ के आलोक में वित्तीय वर्ष २०१९-२० में रॉची विश्वविद्यालय, रॉची अंतर्गत गुमला जिला में  
महिला महाविद्यालय में जलापूर्ति पाईप लाईन हेतु रु० ७६,६७,८२४/- (छिह्तर लाख सड़सठ हजार आठ  
सौ चौबीस रुपये) मात्र के भुगतान हेतु आवंटन प्रदान की जाती है।

२. उपर्युक्त राशि का विकलन वित्तीय वर्ष २०१९-२० की निम्नांकित शीर्ष :-

" मुख्य शीर्ष-२२०२, उप मुख्य शीर्ष-०३-विश्वविद्यालय एवं उच्चतर शिक्षा, लघुशीर्ष-७९६-जनजातीय क्षेत्र  
उपयोजना, उपशीर्ष-BA- नये विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के आधारभूत संरचना का विकास हेतु  
सहायता अनुदान, विस्तृत शीर्ष-०६- अनुदान, ७८-पैदूजी परिसम्पत्ति के सूजन हेतु अनुदान। विपत्र कोड-  
२१S220203796BA0678 (स्कीम कोड-१६३३) के अंतर्गत होगा।

३. स्वीकृत राशि की निकासी के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर रायिव, उच्च  
शिक्षा, उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग, ज्ञारखण्ड, रॉची होंगे, जो सचिवालय कोषागार,  
डोरण्डा, रॉची से राशि की निकासी कर Book Transfer, बैंक ड्राफ्ट अथवा योजना-सह-वित्त विभाग  
द्वारा निर्गत प्रासंगिक आदेश में विहित माध्यम द्वारा रॉची विश्वविद्यालय, रॉची के कुलसचिव को राशि  
उपलब्ध करायेंगे एवं कुलसचिव उक्त बैंक ड्राफ्ट को चालान के माध्यम से विश्वविद्यालय के लिए  
संचालित पी० एल० खाता संख्या-८४४८ में जमा करायेंगे।

४. रॉची विश्वविद्यालय, रॉची के कुलसचिव द्वारा योजना-सह-वित्त विभाग के सुरक्षात  
आदेश एवं परिपत्रों तथा ज्ञारखण्ड कोषागार संहिता-२०१६ के नियम- ३३९-३४४ के तहत रॉची कोषागार  
में संचालित पी० एल० खाता संख्या-८४४८ से राशि की निकासी कर एक सप्ताह के अन्दर कार्यपालक  
अभियंता, पैयजल एवं स्वच्छता प्रमण्डल, गुमला को राशि उपलब्ध करा दी जायेगी।

५. व्यय उपरान्त स्वीकृत राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र महालेखाकार ज्ञारखण्ड एवं  
विभाग को सम्मिलन उपलब्ध कराया जाय।

६. महालेखाकार का कार्यपालक, अंकेक्षण /वित्त (अंकेक्षण) विभाग को विमुक्त एवं निकासी  
की गई राशि के अंकेक्षण का अधिकार होगा।

७. स्वीकृत्यादेश संख्या ३५८/बजट दिनांक २५.१०.२०१९ की अन्य शर्तों का अनुपालन  
सुनिश्चित किया जायेगा।

८. स्वीकृत राशि की निकासी हेतु तैयार विपत्र पर श्री देगेशवर तिवारी, अपर सचिव,  
उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग द्वारा प्रतिहस्ताक्षर किया जायेगा।

विश्वविद्यालय,

०७.११.१७  
(सुशांत गौरव)

निदेशक, उच्च शिक्षा।

ज्ञापांक-५ / यो०१-३३ / २०१५ (उ०शि०) ३६।।७४।।८/रॉची, दिनांक- ०७.११.१७

प्रतिलिपि - कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, रॉची/कोषागार  
पदाधिकारी, जिला कोषागार, रॉची/ कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, गुमला/ कार्यपालक अभियंता,  
पैयजल एवं स्वच्छता प्रमण्डल, गुमला/विभागीय प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक, उच्च  
शिक्षा के प्रधान आप्त सचिव X कुलसचिव, रॉची विश्वविद्यालय, रॉची /लेखा शाखा, उच्च शिक्षा, उच्च,  
तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

०८.११.१७  
(सुशांत गौरव)

निदेशक, उच्च शिक्षा।

R. ३६।।७४।।८  
२०.११.१९

आवंटन आदेशझारखण्ड सरकार

Higher, Technical Education and Skill Development Department (Higher Edu)

चालू वित्तीय वर्ष

2019-20 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शोर्पे के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है।


पत्र संख्या -

3/YO.1-33/2015/361/BUDGET

दिनांक -

07-Nov-2

क्रमांक	विषय कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 21 220203796BA0678 2202 - सामान्य शिक्षा 03 - विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगना BA - नवे विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के आधारभूत मंत्रनालय का विकास हेतु सहायता अनुदान 06 - अनुदान 78 - पौरी परिसम्पत्ति के सुरक्षा हेतु अनुदान State Scheme	72120	DRNEDN046 SRI BHAIYA RAJNISH RANJAN UNDER SECT.HIGHER EDU.DIR.JHA. 	7,667,824.00 रुपये छहल्हर लाख सड़सठ हजार आठ सौ चौहास


State Scheme : GRANT IN AID FOR INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT OF NEW COLLEGES AND  
Central Scheme : UNIVERSITIES(1633)

योग:

7,667,824.00

क्रमिक योग:

रुपये छहल्हर लाख सड़सठ हजार आठ सौ चौहास

  
 (SUSHANT GAURAV)



GRN:-1902948107	Date:- 22/11/2019 13:13:13	Remitter's Copy of Dept
Receiving Office:- RNCEDN462-REGISTRAR-RANCHI UNIVERSITY		
District:- Ranchi	Deposit Treasury:- Ranchi	
Year:- 22/11/2019	to :- 22/11/2019	
Head(8448)	Amount	₹
Head Details	844800120150101	
Ranchi University, Ranchi	7667824.00	

GRN:-1902948107	Date:- 22/11/2019 13:13:13	Remitter's Copy
Receiving Office :- RNCEDN462-REGISTRAR-RANCHI UNIVERSITY		
District:- Ranchi	Deposit Treasury:- Ranchi	
Year:-22/11/2019	to:- 22/11/2019	
Head(8448)	Amount	₹
Head Details	844800120150101	
Ranchi University, Ranchi	7667824.00	

<b>Registrar</b> Ranchi University, Ranchi		
Net Payable Amount:- Seventy Six Lakh Sixty Seven Thousand Eight Hundred Twenty Four Rupees And Zero Paise Only	7667824.00	
Challan No and Date: Identity Proof(TAN Number) - RCHRR00146G	787	22/11/2019
PAN No:-	NA	
Remitter Name:-	RANCHI UNIVERSITY RANCHI	
Address :-	NEAR SHAHID CHOWK, MAIN ROAD, RANCHI RANCHI 834001	
Remarks :-	Treasury Officer Signature is not required.	
<b>FOR USE IN TREASURY LINK BANK</b>		
CHEQUE/DD :- Scroll No and (Date):-	145868	
Bank Name :-SBI,RANCHI,COURT COMPOUND,RANCHI		
Note:- Bank Official are requested to update the receipt Online before Stamping.		
<i>2000/-</i>		
Signature & Seal of Bank		

<b>Registrar</b> Ranchi University, Ranchi		
Net Payable Amount:- Seventy Six Lakh Sixty Seven Thousand Eight Hundred Twenty Four Rupees And Zero Paise Only	7667824.00	
Challan No and Date: Identity Proof(TAN Number) - RCHRR00146G	787	22/11/2019
PAN No:-	NA	
Remitter Name:-	RANCHI UNIVERSITY RANCHI	
Address :-	NEAR SHAHID CHOWK, MAIN ROAD, RANCHI RANCHI 834001	
Remarks :-	Treasury Officer Signature is not required.	
<b>FOR USE IN TREASURY LINK BANK</b>		
CHEQUE/DD :- Scroll No and (Date):-	145868	
Bank Name :-SBI,RANCHI,COURT COMPOUND,RANCHI		
Note:- Bank Official are requested to update the receipt Online before Stamping.		
<i>2000/-</i>		
Signature & Seal of Bank		

Use seprate page

Cut from here

212 / 96

ज्ञारखण्ड सरकार  
उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग  
(उच्च शिक्षा प्रभाग)

प्रेषक,

R.L.  
1-7-19

(उच्च शिक्षा प्रभाग)

राजेश कुमार शर्मा,  
सरकार के सचिव,  
उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग  
ज्ञारखण्ड, राँची।

सेवा में

Smt. U.K. Khatiwada  
Date 27/06/2019

विषय:-

महालेखाकार,  
पो-हिनू  
ज्ञारखण्ड, राँची।

प्रसंग:-

राँची विश्वविद्यालय, राँची अंतर्गत तोरपा विधानसभा क्षेत्र में डिग्री स्तरीय महाविद्यालय की स्थापना हेतु ₹ 15,76,99,600/- (पन्द्रह करोड़ छिह्नतर लाख निन्यानवे हजार छ: सौ) रूपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के विरुद्ध वित्तीय वर्ष 2019-20 में ₹ 5,00,00,000/- (पाँच करोड़ रूपये) मात्र की निकासी की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

ज्ञारखण्ड राज्य में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बृहत्तर लक्ष्य निर्धारित किया गया है। Gross Enrollment Ratio (GER) के निर्धारित लक्ष्य (32%) की प्राप्ति हेतु एवं छात्रों को रोजगार के अधिकतम अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से उच्च शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रयास किये जा रहे हैं।

2. वित्तीय वर्ष 2016-17 के बजट अभिभाषण में माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र जहाँ अंगीभूत महाविद्यालय नहीं है, में चरणबद्ध तरीके से डिग्री स्तरीय महाविद्यालय के स्थापना की घोषणा की गयी है।

3. वित्तीय वर्ष 2016-17 में राज्य के 07 विधानसभा क्षेत्रों में डिग्री स्तरीय महाविद्यालय की स्थापना के लिए विभागीय संलेख ज्ञापांक 330 दिनांक 11.02.2017 के प्रस्ताव पर मंत्रिरिषद की स्वीकृति प्राप्त है। उक्त 07 विधानसभा क्षेत्रों में दुण्डी भी सम्मिलित है।

4. वित्तीय वर्ष 2019-20 में राज्य स्कीम बजट के अन्तर्गत उपशीर्ष-BA- नये विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के आधारभूत संरचना का विकास हेतु लघुशीर्ष-102-विश्वविद्यालयों को सहायता मद में 107.00 करोड़ (एक सौ सात करोड़ रूपये) मात्र एवं लघुशीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, मद में 107.00 करोड़ (एक सौ सात करोड़ रूपये) मात्र अर्थात कुल ₹ 214.00 करोड़ का बजट उपबंध प्राप्त है।

5. राँची विश्वविद्यालय, राँची अंतर्गत तोरपा विधानसभा क्षेत्र में डिग्री स्तरीय महाविद्यालय की स्थापना हेतु ₹ 15,76,99,600/- (पन्द्रह करोड़ छिह्नतर लाख निन्यानवे हजार छ: सौ) रूपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के विरुद्ध वित्तीय वर्ष 2019-20 में ₹ 5,00,00,000/- (पाँच करोड़ रूपये) मात्र की निकासी की स्वीकृति निम्नवत् प्रदान की जाती है-

क्र०	स्थान का नाम	जिला का नाम	प्रशासनिक रूप से स्वीकृत राशि	वर्ष 17-18 में विमुक्त की गयी राशि	वर्ष 19-20 में विमुक्त की जाने वाली राशि	अवशेष राशि
1	2	3	4	5	6	7
1	डिग्री कॉलेज, तोरपा	राँची	157699600	60000000	50000000	47699600

6. कॉडिका-5 के स्तम्भ-6 में अंकित राशि का विकलन वित्तीय वर्ष 2019-20 के राज्य स्कीम बजट के निम्नांकित शीर्ष- "मुख्य शीर्ष-2202, उप मुख्य शीर्ष-03-विश्वविद्यालय एवं उच्चतर शिक्षा, लघुशीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, उपशीर्ष-BA- नये विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के आधारभूत संरचना का विकास हेतु सहायता अनुदान, विस्तृत शीर्ष-06- अनुदान, 78-पूँजी परिसम्पत्ति के सृजन हेतु अनुदान। विपत्र कोड- 21S220203796BA0678 (स्कीम कोड-1633)

7. वित विभाग के पत्रांक-3520, दिनांक 11.12.07 में प्रसंगाधीन मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, ज्ञारखण्ड की अधिसूचना संख्या-301, दिनांक-11.03.2015 के आलोक में यह स्वीकृत्यादेश विभाग को प्रदत्त शक्ति के अधीन है।

F.O/C-E.O.C.

27/06/2019

राँची, दिनांक 10-06-2019

8. इस मद में विगत वित्तीय वर्ष के पूर्व वर्ष में निकासी की गई राशि की विवरणी—

स्वीकृत्यादेश संख्या एवं तिथि	निकासी की गई राशि	प्राप्त उपयोगिता प्रमाण पत्र की राशि
455 दिनांक 27.02.2017	60000000/-	55153886/-

9. वित विभाग के संकल्प ज्ञापांक 759 दिनांक 20.03.2015 के अनुसार राशि की निकासी हेतु प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

10. स्वीकृत राशि की निकासी के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव, उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग, झारखण्ड, रॉची होंगे, जो सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, रॉची से राशि की निकासी कर Book Transfer, बैंक ड्राफ्ट अथवा योजना-सह-वित्त विभाग द्वारा निर्गत किये गये प्रासंगिक आदेश में विहित माध्यम द्वारा रॉची विश्वविद्यालय, रॉची के कुलसचिव को राशि उपलब्ध करायेंगे एवं कुलसचिव उक्त बैंक ड्राफ्ट को चलान के माध्यम से विश्वविद्यालय के लिए संचालित पी० एल० खाता संख्या-8448 में जमा करायेंगे।

11. रॉची विश्वविद्यालय, रॉची के कुलसचिव द्वारा योजना-सह-वित्त विभाग के सुसंगत आदेश एवं परिपत्रों तथा झारखण्ड कोषागार संहिता-2016 के नियम- 339-344 के तहत पी० एल० खाता संख्या-8448 से एक सप्ताह के अंदर झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, रॉची के पी० एल० खाता में राशि अंतरित कर दी जायेगी।

12. स्वीकृत्यादेश संख्या 455 दिनांक 27.02.2017 की अन्य शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

13. व्यय उपरान्त स्वीकृत राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र महालेखाकार झारखण्ड एवं विभाग को ससमय उपलब्ध कराया जाय।

14. महालेखाकार का कार्यालय, अंकेक्षण / वित्त (अंकेक्षण) विभाग को विमुक्त एवं निकासी की गई राशि के अंकेक्षण का अधिकार होगा।

15. झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 174 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

16. स्वीकृत राशि की निकासी हेतु तैयार विपत्र श्री दिगेश्वर तिवारी, संयुक्त सचिव, उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग द्वारा प्रतिहस्ताक्षर किया जायेगा।

विश्वासभान,

ह०/-

(राजेश कुमार शर्मा)  
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक-1 / यो.1-25 / 2016 (उ०शि०) ..... / रॉची, दिनांक- ..... / 2019

प्रतिलिपि —कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, रॉची/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, रॉची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/-

(राजेश कुमार शर्मा)  
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक-1 / यो.1-25 / 2016 (उ०शि०) 212/७४८ / रॉची, दिनांक- ..... / 10.06.1/ 2019

प्रतिलिपि —विभागीय सचिव के प्रधान आप्त सचिव/प्रबंध निदेशक, झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, रॉची/निदेशक, उच्च शिक्षा के प्रधान आप्त सचिव/कुलसचिव, रॉची विश्वविद्यालय, रॉची /अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी(उच्च शिक्षा)/ लेखा शाखा, उच्च शिक्षा, उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(राजेश कुमार शर्मा)  
सरकार के सचिव।